" सर्व शिक्षा अभियान "

कार्य योजना – 2002–10

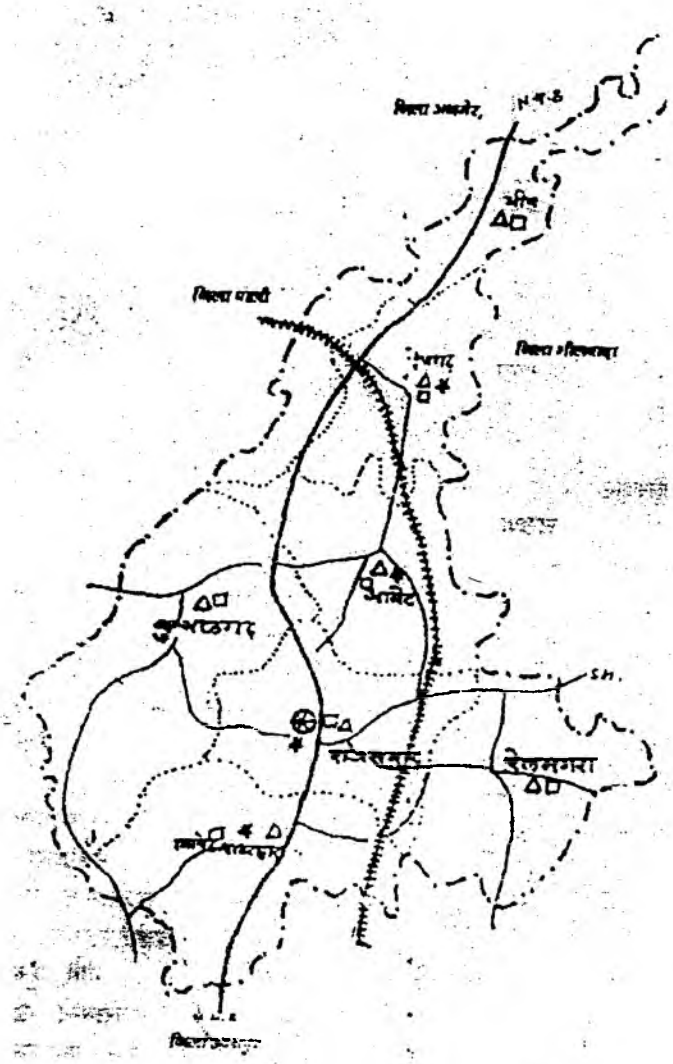

जिला परियोजना समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना

जिला - राजसमन्द

" सर्व शिक्षा अभियान "

कार्य योजना – 2002–10

संरक्षक : रोहित कुमार
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति,
लोक जुम्बिश परियोजना, जिला राजसमन्द

सह संरक्षक : आशा वर्मा
जिला समन्वयक एवं सचिव जिला कार्यकारी समिति,
लोक जुम्बिश परियोजना, जिला राजसमन्द

प्रस्तोता : पी.एन. जोशी
सहायक जिला परियोजना समन्वयक, (अकादमिक)
लोक जुम्बिश परियोजना, जिला राजसमन्द

सहयोगी : लक्ष्मीनारायण पालीवाल
अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोरज (राजसमंद)

: गोपाल प्रसाद नन्दवाना
प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भुडान (राजसमंद)

: दिनेश श्रीमाली
प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वांसोल (राजसमंद)

लेजर टाईप सेटिंग : नेमीचन्द्र पालीवाल
कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक,
लोक जुम्बिश परियोजना, राजसमन्द

"सर्व शिक्षा अभियान"

अध्याय – 1 जिला परिदृश्य

अध्याय – 2 जिले का शैक्षिक परिदृश्य

अध्याय – 3 योजना प्रक्रिया

अध्याय – 4 सर्व शिक्षा अभियान : लक्ष्य एवं उद्देश्य

अध्याय – 5 पहुंच एवं ठहराव

अध्याय – 6 गुणवत्ता

अध्याय – 7 विशिष्ट फोकस ग्रुप एवं नवाचार

अध्याय – 8 अनुसंधान, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग

अध्याय – 9 प्रबन्धन क्षमता विकास

अध्याय – 10 निर्माण कार्य

अध्याय – 11 योजना लागत

अध्याय – 12 योजना क्रियान्वयन

अध्याय – 13 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2003–04

अध्याय – 1

जिला परिदृश्य

1.1 ऐतिहासिक स्थिति :–

जिला राजसमन्द का नामकरण मेवाड़ महाराणा श्री राजसिंहजी के द्वारा नव निर्मित राजसमन्द झील के कारण हुआ है। राजप्रस्तः महाकाव्यम् के सम्पादक श्री डॉ. मोतीलाल मेनारिया ने इस झील का निर्माण काल सम्वत् 1718 से सम्वत् 1732 बताया हे, जिसकी पुष्टि "राजपूताने का इतिहास लेखक गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने तथा वीर विनोद के रचयिता श्यामलदास ने की है। महाराणा राजसिंहजी ने राजसमन्द झील राजनगर ग्राम एवं पहाड़ी पर राजमहल नामक राज प्रासाद का नामकरण अपने ही नाम पर किया। झील निर्माण के पूर्व झील के दिशा स्थिति कांकरोली अस्तित्व था। कहते हैं इस कांकरोली का नामकरण खाखा नामक रावत को मेवाड़ महाराणाओं द्वारा पुरस्कार में दी गई (डोली) जमीन के कारण हुआ था। इसके प्रमाण में साहित्यकार एवं इतिहास लेखक श्री अनोखा के पास रावत समाज के द्वारा सबसे प्राचीन मन्दिर एवं महाकाली के मन्दिर का लिखा हुआ ताम्र पत्र एवं 200 वर्ष पुरानी पंचायत की लिखावट है, जिसमें यह साबित होता है कि यहां 6000 वर्ष पूर्व रावतों की बस्ती थी। उसी समय महाराणा रायमल द्वारा गुप्तेश्वर महादेव का मन्दिर का निर्माण हुआ। वर्तमान में कांकरोली और राजनगर दोनों को मिला कर जिला का नामकरण राजसमन्द किया गया है। राजसमन्द झील के निर्माण के समय ब्रज के मुगल बादशाह औरंगजेब के मूर्ति खण्डन के भय से और गोस्वामियों के पारिवारिक झगड़े के कारण प्रभु श्री द्वारकाधीशजी का विग्रह कांकरोली के पूर्व 1 किलोमीटर पर आसोटिया में सम्वत् 1727 में आकर प्रतिष्ठित हुआ। यह ग्राम मेवाड़ महाराणाओं द्वारा भेंट था। राजप्रशस्ति के दशमः सर्ग की ग्यारहवीं शिला पर खुदा हुआ श्लोक दृष्टव्य है –

सुवर्ण शैलात्पुरि भात्यमानः, श्री द्वारकायां धन भासमानः।
चतुर्भुजो राजसमुद्र तीरे, श्री द्वारकानाथहरि शिला।।

अर्थात् चतुभुजो धारी घनश्याम द्वारकानाथ हरि निर्मल जल वाले राजसमुद्र के तट पर, सुवर्ण शैल से सुशोभित द्वारकारूपी कांकरोली नगरी में शोभा पा रहे है।

प्रभु श्री द्वारकाधीशजी का स्वरूप श्री वल्लभाधीश परिवार के सात स्वरूपी सेवाओं में से तृतीयधर की सेवा है।

राजसमन्द जिला बनने के पूर्व में राजनगर के बनते के 16 परगनों में से दसवें नम्बर का जिला कहलाता था, जिसका एक हामिक होता और उसे दीवानी तथा फौजदारी का अधिकार था। यहॉ की अपीलें उदयपुर नगर की अदालतों में होती थी। उस वक्त राजनगर परगनें में 123 गॉव थे।

राजसमन्द जिला का निर्माण 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर सम्भाग के नये जिले के रूप में हुआ, जिसमें सात तहसील क्रमशः भीम, देवगढ़, केलवाड़ा, आमेट, रेलमगरा, नाथद्वारा (खमनोर) तथा राजसमन्द हैं। जिला के तीन उखण्ड, चार उप तहसील, चार नगरपालिकाएँ, सात पंचायत समितियां, 206 ग्राम पंचायते एवं 1004 राजस्व गॉव, 989 आबाद ग्राम एवं 15 गैर आबाद ग्राम तथा मजरा ढाणी है। हेबीटेशन कुल आबाद स्थल 2287 है।

राजसमन्द 24.46 डिग्री से 26.01 डिग्री पूर्वी देशान्तर 73.28 से 74.18 डिग्री अक्षांश के बीच बसा हुआ है। यहां की जनसंख्या 2001 के अनुसार 986269 है। समशीतोष्ण जलवायु हैं। इसके दक्षिण में 65 किलोमीटर दूर उदयपुर, उत्तर में अजमेर पूर्व में भीलवाड़ा तथा पश्चिम में मारवाड़ की सीमा है।

जिले का कुल क्षेत्रफल 4684 वर्ग किमी. है। इसकी प्रमुख नदियां बनास, कोठारी, खारी, गंभीरी तथा गोमती है। जिले की पश्चिमी सीमा विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रेणी अरावली (आड़ावल) से बनी है। इसमें कई बाध हैं जिनमें नन्दसमन्द बांध और चीकलवास प्रमुख है। यहां औसतन वर्षा 24 से 30 इंच माना है। मक्का, गेहूं, जौ, चना तिल्ली आदि मुख्य फसलें है। राजसमन्द की जमीन कहीं दोमट, रेतीली तो कहीं पहाड़ी है।

खनिज :– राजसमन्द जिला खनिजों का खजाना कहलाता है, जहां संगमरमर पत्थर, घीया पत्थर, आरासी पत्थर के अलावा लोहा, ताम्बा, सीसा, जस्ता व पन्ना की निकासी होती थी।

तीर्थ :– राजसमन्द जिले का सबसे बड़ा तीर्थ श्रीनाथद्वारा है जहॉ श्रीनाथजी का विग्रह बिराजमान है। इनका प्रागट्य गिरिराज पवर्त से पन्द्रहवीं सदी में हुआ और संवत् 1728 में सिंहाड़ में आकर बिराजे थे। केलवाड़ा तहसील में श्रीचारभुजा नाथ एवं सेवन्त्री में रूपनारायण का भव्य मन्दिर है जो पांडव कालीन कहलाते हैं। रोड़िया हनुमान एवं आमज माता, परसराम महादेव, आंजनेश्वर महादेव, फरारा महादेव तथा रामेश्वर महादेव के सुन्दर दर्शनीय स्थल है। मातृकुण्डियां राजसमन्द जिले में गंगा माना गया है।

जैनियों के दयालशाह का निर्मित मन्दिर, अणुव्रत विश्व भारती तथा मुसलमानों का मामा भाणेज स्थल आस्था के केन्द्र हैं।

उद्योग एवं व्यवसाय :– राजसमन्द जिले में रबर के टायर बनाने वाली जे.के. इण्डस्ट्रीज, दरीबा की खदान, मोलेला के टेराकोटा (मिट्टी की मूर्तियां बनाने का कार्य) नाथद्वारा की चित्रकला, मीनाकारी एवं खिलौने प्रसिद्ध है। कपड़े पर पिछवाईयां एवं रेशमी रूईदार अंगरक्षी व टोपियां यहां के विशेष पहनावे हैं जिनसे राजस्थान सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है।

1.2 जलवायु एवं वातावरण :–

राजसमन्द की जलवायु एक समशीतोष्ण है, न तो अधिक गर्मी व न अधिक सर्दी पड़ती है। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य रहता है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 30.27 से.मी. होती हैं। स्थिति उत्तरी अक्षांश 24–46 डिग्री से 26–01 डिग्री पूर्वी देशान्तर 73–28 डिग्री से 74–18 डिग्री तक है। यहां पर नम जलवायु होने के कारण सुविख्यात जे. के. टायर प्लान्ट यहां विकसित हो सका है जो आज सम्पूर्ण एशिया में प्रथम स्थान पर है।

1.3 आर्थिक स्थिति :–

परम्परागत कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों के अतिरिक्त अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध टेराकोटार आर्ट (मिट्टी) की कलाकृतियां यहां का मूल व्यवसाय है। मोटे तौर पर राजसमन्द जिले में व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में जनसंख्या का वितरण निम्नानुसार है :–

		पुरूष	महिला
1.	काश्तकार	19840	41398
2.	खेतीहर मजदूर	20554	14358
3.	पारिवारिक उद्योगों में	4382	997
4.	अन्य कार्य करने वाले	67492	6190

स्त्रोत जिला सांख्यिकी , राजसमन्द 2001

राजसमन्द जिले में लगातार अकाल, मार्बल आधारित उद्योगों के विस्तार के बाद गत दो दशक से परम्परागत कृषि व्यवसाय छोड़ लोग अन्य काम धन्धे में लगे है बावजूद इसके इस क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। जिले भर में 61 हजार 238 लोग खेती से सीधे जुड़े है वहीं कृषि से 34 हजार 912 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है।

किन्तु अब राजसमन्द जिले में पानी की कमी होने के कारण खेतीहार कास्तकारों की स्थिति दयनीय है। अतः पारंपरिक व्यवसायों के अतिरिक्त मार्बल खनन एवं खादी ग्रामोद्योग से अधिकांश जुड़े हुए हैं।

1.4 प्रशासनिक स्थिति :– (2002)

क्र.सं.	विवरण	पुरूष	आयु %	स्त्री	आयु %	योग	आयु %
1	कार्यशील (मेन वकर्स)	215951	43.82	59571	12.07	275522	27.93
2	सीमान्त (मार्जिनल वकर्स)	37797	07.68	88309	17.89	126104	12.78
3	अकार्यशील (नोन वकर्स)	238988	48.50	345655	70.36	584643	5927
	योग	492736	100	493533	99.99	986269	98.98

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी 2001

जिले में कुल कार्य योग्य स्त्री पुरूषों में करीब 28 प्रतिशत लोग कार्यशल है वहीं 12.78 प्रतिशत सीमान्त वकर्स है कुल मिलाकर 48.50 प्रतिशत लोग अकार्यशील श्रेणी में जबकि महिला संवर्ग में तो दो तिहाई से अधिक अकार्यशील है।

1.5 व्यवसायानुसार स्थिति :– (2001)

विवरण	संख्या
सम्भाग	4
विकास खण्ड	7
तहसील	7
गंव	1004
वास स्थान	2287
पंचायत	206
शहरी क्षेत्र	4428.32 वर्ग किमी.
पंचायतों में वार्ड संख्या	अप्राप्त
शहरी क्षेत्रों की संख्या	60

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी 2001

जिले में सात–सात तहसील एवं विकास खण्ड हैं वहीं इसे प्रशासनिक दृष्टि से राजसमन्द, नाथद्वारा, भीम एवं कुंभलगढ़ चार उखण्डों में विभक्त किया गया हैं। जिले में चार नगर पालिका एवं 206 ग्राम हैं।

1.6 डेमोग्राफी फीचर

(a) जनसंख्या दर :– (2001)

जनसंख्या	योग	पुरूष	महिला	दर
जनसंख्या 1991	803046	403503	399543	50.24
जनसंख्या 2001	986269	492736	493533	49.95
जनसंख्या वृद्धि	183223	89233	93990	48.90
वृद्धि दर	18.57%	81.10%	19.04%	100.50%

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी 2001

जिले की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 986269 हैं जिसमें महिलाओं की संख्या पुरूषों के मुकाबले कुछ अधिक है। गत एक दशक में जिलें भर में पुरूष वृद्धि दर 18.57 रही वहीं महिला जनंसख्या वृद्धि 19.04 प्रतिशत दर्ज की गई है।

(b) शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 2001 :–

क्र. सं.	विकास खण्ड	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			योग कुल जनसंख्या		
		T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	आमेट	88152	44047	44015	16669	8530	8139	104821	52577	52244
2	भीम	137515	67875	69670	–	–	–	137515	67875	69670
3	देवगढ़	77769	38034	39735	16500	8428	8072	94269	46462	47807
4	कुंभलगढ़	130937	64402	66535	–	–	–	130937	64402	66535
5	खमनोर	172324	85836	86488	37007	19310	17697	209331	105146	104185
6	रेलमगरा	110406	54636	55770	2832	1509	1323	113238	56145	57093

7	राजसमंद	140457	71124	69333	55671	29005	26666	196128	100129	95999
	योग –	857590	425954	431636	128679	66782	61897	986269	492736	493533

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी 2001

ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिशतता – 86.95 प्रतिशत

शहरी क्षेत्र की प्रतिशतता – 13.04 प्रतिशत

जिले में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 86.95 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र एवं 13.04 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते है। जनसंख्या की दृष्टि से खमनोर विकास खण्ड में सर्वाधिक एक लाख 72 हजार 324 लोग निवास करते है जबकि सबसे कम जनसंख्या देवगढ़ विकास खण्ड में 77 हजार 769 लोग रहते हैं।

(C) जातीय अनुसार जनसंख्या 1991 :–

क्र सं.	नाम विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			कुल योग		
		T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	भीम	10991	7471	5520	1996	1022	974	91079	42399	46680	104066	50892	53174
2	देवगढ़	14655	7382	7273	3314	1651	1663	59766	29798	29970	77737	38831	38906
3	आमेट	14803	7648	7155	6385	3319	3066	64989	32903	32080	86171	43870	42301
4	कुंभलगढ़	10625	5450	5175	28105	14465	13640	73896	36595	37301	112626	56510	56116
5	राजसमन्द	18703	9552	9151	17620	8961	8659	111034	56458	34576	147357	74971	72386
6	रेलमगरा	16494	8436	8058	8426	4303	4123	75374	37751	37623	100294	50490	49804
7	नाथद्वारा	15995	8226	7769	33513	17036	16450	125287	62650	62637	174795	87939	86856
	योग –	102266	52165	50101	99359	50784	48575	601421	300554	300867	803046	403503	399543

स्त्रोत – जिला जनगणना 1991 जिला उदयपुर

प्रतिशत अजा – 12.73

प्रतिशत अजजा – 12.73

जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर एक लाख 2 हजार 266 अनुसूचित जाति एवं 99 हजार 359 लोग अनुसूचित जन जाति के है जबकि छः लाख एक, हजार 421 अन्य पिछड़ा वर्ग के निवास करते है। अजा के सबसे ज्यादा राजसमन्द विकास खण्ड में और जनजाति समुदाय के सबसे ज्यादा लोग 33 हजार 513 नाथद्वारा (खमनोर) विकास खण्ड में हैं।

1.7 ग्राम संख्या का वितरण 1991 जनसंख्या के आधार पर :–

वास स्थान ब्लॉक	< 100	100– 200	200– 300	300– 500	500– 800	800– 1000	1000– 5000	> 5000
आमेट	21	40	26	44	21	8	11	1
भीम	–	8	34	40	210	156	–	–
देवगढ़	अप्राप्त							
कुंभलगढ़	20	35	40	50	60	10	8	2
खमनोर	152	184	74	75	37	12	12	–
रेलमगरा	30	48	39	25	17	17	7	4
राजसमंद	81	85	31	47	31	9	11	4
योग	304	400	244	281	376	212	59	11

नोट – कुल हेबीटेशन 2287 उसमें से देवगढ़ के हेबीटेशन प्राप्त नहीं।

स्त्रोत – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय,

जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 150 ग्राम ऐसे हैं जहां 200 से कम जनसंख्या है। इसी तरह 330 ग्राम ऐसे हैं जहां 200 से 499 की जनसंख्या है। 418 ग्राम ऐसे हैं जहां आबादी 500 से 1999 है। 40 ग्राम ऐसे हैं जहां 2000 से 4999 की आबादी तथा मात्र 6 ग्राम ऐसे हैं जहां 5000 से उपर की जनसंख्या निवास करती है।

1.8 आगामी विकास योजना :–

क्र. सं.	आगामी विकास योजना	व्यय (राशि लाखों में)			
		1998–99	1999–2000	2000–20001	
i.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	72.19	37.56	अप्राप्त	
ii.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	बन्द	404.36	अप्राप्त	
iii.	निर्बन्ध राशि विकास योजना	9.40	31.995	–"–	
iv.	बत्तीस जिले बत्तीस काम योजना	अप्राप्त	1.23	–"–	
v.	सांसद क्षेत्र विकास कोष योजना	43.36	89.59	–"–	
vi.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार				
	(1) स्वरोजगार योजना	1.38	0..953	–"–	
	(2) वैतनिक रोजगार	4.436	6.13	–"–	
	(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	0.67	–	
	जिला गरीबी उन्मूलन	–	–	990 लाख	

स्त्रोत :– कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर विकास डी.आर.डी.ए. राजसमन्द

जिले में आर्थिक एवं भौतिक अन्नयन के लिए विविध योजनाएं संचालित की जा रही है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जिला गरीबी उन्मूलन योजना है जिसके माध्यम से जिले के करीब 60 हजार बी.पी.एल. परिवारों का आर्थिक अन्नयन किया जाएगा।

अध्याय – 2

जिले का शैक्षणिक परिदृश्य

2.1 ऐतिहासिक शैक्षिक पृष्ठभूमि :–

दक्षिण राजस्थान में स्थित राजसमन्द जिले में मेवाड़ रियासत काल में ही छोटे–छोटे स्तर पर शिक्षा उन्नयन का दौर प्रारंभ हो गया। 18वीं सदी के प्रारंभ में ही जिले में कई लोगों ने निजी स्तर विद्यालय प्रारी कर दिए थे। 1872 के आस–पास मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा सज्जनसिंह ने पहली बार 60 प्राथमिक विद्यालय ठिकाने की ओर से प्रारंभ दिए। इन विद्यालयों के लिए भवन के साथ–साथ शिक्षक आवास गृह भी बनाये गए। राजसमन्द जिला क्षेत्र में परगना स्तर एवं कस्बाई क्षेत्रों में ये विद्यालय प्रारंभ किए गए थे।

नाथद्वारा कांकरोली में जहां मंदिर तिलकायत एवं गोस्वामी परिवार की ओर से शैक्षिक गतिविधियॉ प्रारंभ हुई वहीं भीम–देवगढ़ क्षेत्र में मेरवाडा अजमेर रियासत में अंग्रेजों ने शिक्षालय प्रारंभ किए। नाथद्वारा हाईस्कूल उच्च शिक्षा की दृष्टि से बड़ा शिक्षा केन्द्र माना जाता था, लेकिन उस समय तकनीकी शिक्षा की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी। स्वतन्त्रता उपरान्त जिले में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ प्राथमिक शिक्षा गांव गांव ढ़ाणी–ढ़ाणी पहुंची आज जिले में प्राथमिक शिक्षा पर किसी भी वर्ग का आधिपत्य न रहकर प्रत्येक वर्ग इसका लाभ उठा रहे है तथ गरीब, अमीर सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे है। 10 अप्रैल 1991 से राजसमन्द जिला अस्तित्व में आया इसके पूर्व उदयपुर जिले में था तथा 1990 के उपरान्त छोटा जिला बनने में 4 महाविद्यालय तथा 42 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 83 माध्यमिक विद्यालय, 337 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 1466 प्राथमिक विद्यालय तथा 648 आंगनवाड़ी चल रही है। अतः कुल 1004 गांवों के अनुपात में विद्यालय काफी हैं।

2.2 साक्षरता दर :– (2002)

क्रम	ब्लॉक	ग्रामीण			शहरी			योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योंग	पुरूष	महिला
1	भीम	32.02	56.46	9.56	–	–	–	32.02	56.46	9.56
2	देवगढ़	22.72	39.24	6.64	60.82	79.40	41.26	29.55	46.68	12.67
3	आमेट	22.93	37.71	7.80	63.37	80.25	45.15	29.88	45.18	14.07
4	कंभलगढ़	23.39	38.46	8.34	–	–	–	23.39	38.46	8.34
5	राजसमन्द	31.70	49.83	13.33	67.30	83.52	49.45	41.03	58.93	22.50
6	रेलमगरा	32.56	50.37	14.69	–	–	–	32.56	50.37	14.69
7	नाथद्वारा	29.79	46.83	12.97	74.05	85.71	61.35	37.79	54.14	21.36

स्त्रोत – जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2000 जिला राजसमन्द

जिले में साक्षरता की दृष्टि से राजसमन्द विकास खण्ड में 58.93 प्रतिशत लोग साक्षर है वहीं सबसे कम 38.46 प्रतिशत कुंभलगढ़ में साक्षर है। शंहरी क्षेत्र में नाथद्वारा में सर्वाधिक 74.05 प्रतिशत लोग साक्षर है जबकि सबसे कम 60.82 प्रतिशत लोग देवगढ़ में साक्षर है। जिले में महिला साक्षरता की स्थिति काफी कमजोर है जहां सबसे अधिक 22.50 प्रतिशत महिलाएं राजसमन्द विकास खण्ड में साक्षर है वहीं कुंभलगढ़ विकास खण्ड में मात्र 8.34 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर है।

2.3 शैक्षणिक सुविधाएं :–

(अ) औपचारिक विद्यालय (2002)

क्र स	ब्लॉक	प्राथमिक			राजी व गांधी	उच्च प्राथमिक			शिक्षा कर्मी			संस्कृत			योग	
		G	P	T	G	G	P	T	PS	UPS	T	PS	UPS	T	PS	UPS
1	आमेट	88	15	103	59	27	6	33	-	-	-	3	-	3	165	33
2	भीम	106	8	114	132	45	5	50	15	-	15	3	1	4	264	51
3	देगवढ़	78	4	82	46	24	-	24	16	-	16	1	-	1	145	24
4	कुंभलगढ़	86	3	89	97	45	-	45	42	1	43	3	-	3	231	46
5	नाथद्वारा	130	46	176	93	84	13	97	10	-	10	2	-	2	381	97
6	रेलमगरा	76	18	94	50	37	8	45	-	-	-	1	-	1	145	45
7	राजसमंद	126	20	146	110	39	33	72	-	-	-	2	-	2	258	72
	योग–	690	114	804	687	301	65	366	83	1	84	15	1	16	1589	368

स्त्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

राजसमन्द जिले में कुल 7 विकास खण्डों में, कुल 1004 ग्राम हैं जिसमें 989 आबाद ग्राम तथा 15 गैर आबाद ग्राम है। जबकि शिक्षा हेतु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की स्थिति इससे ज्यादा है। विद्यालयों की कुल संख्या 2813 है। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु 678 आंगनवाडी व लोक जुम्बिश द्वारा संचालित 127 सहज शिक्षा केन्द्र एवं 56 शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित है।

(ब) अनौचारिक विद्यालय (2002)

विद्यालय के प्रकार	विद्यालय संख्या	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
A S	–	–	–	–
सहज शिक्षा केन्द्र	127	400	2010	2410
पहर पाठशाला	83	–	–	अप्राप्त
E G S	–	–	–	–
शिक्षा मित्र केन्द्र	56	191	760	951
योग	266	591	2770	3361

स्त्रोत – जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय

राजसमन्द में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बन्द होने के बाद भी उपरोक्त प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में वे वंचित बालक अध्ययनरत है जिन्हें औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा केन्द्रों से जोड़ा नहीं जा सका है। वर्तमान में कुल 261 केन्द्र संचालित है। जिनमें कुल 3361 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है।

(स) उच्च शिक्षा हेतु शैक्षणिक सुविधाएं (2002)

क्र. सं.	शैक्षणिक संस्थान	सरकारी	निजी	योग
1	माध्यमिक विद्यालय	77	10	87
2	उच्च माध्यमिक विद्यालय	42	2	44
3	स्नातक महाविद्यालय	3	–	3
4	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1	–	1
5	डाइट	1	–	1
6	बी.एड. महाविद्यालय	–	–	–
7	आई.ए.एस.ई.	–	–	–
8	आई. टी. आई.	1	–	1
9	तकनिकी महाविद्यालय	–	–	–
10	आर्य महाविद्यालय	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–

स्त्रोत – शिक्षा विभागीय कार्यालय

राजसमन्द में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन की व्यवस्था अपर्याप्त है। चार उपखण्ड की दृष्टि से एक उपखण्ड भीम महाविद्यालय से वंचित है वहीं तकनिकी शिक्षा महाविद्यालय का अभाव हैं।

2.4 नामांकन

(अ) जातीय अनुसार नामांकन कक्षा 1 से 8 (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आमेट	2165	1534	3699	942	516	1458	8932	6645	15577	12039	8695	20734
2	भीम	1784	1502	3286	230	143	373	15077	11371	26448	17091	13416	30664
3	देवगढ़	2198	1744	3942	486	272	758	8637	6666	15303	11321	8682	20003
4	कुंभलगढ़	1442	1034	2476	3844	2571	6415	8483	7083	15566	13769	10688	24457
5	खमनोर	2729	2313	5042	5568	3965	9533	16866	14199	31065	25203	20477	45680
6	रेलमगरा	2392	1976	4368	1419	831	2250	8110	6998	15108	11921	9805	21726
7	राजसमन्द	3157	2564	5721	2995	2166	5161	14673	12109	26782	20825	16839	37664
	योग –	15867	12667	28534	15484	10464	25948	80778	65071	145849	112169	88602	200928

स्त्रोत : – समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

जिले में जातिवार नामांकन की दृष्टि से कक्षा 1 से 8 तक में अजा वर्ग के 2834 बालक–बालिकाएँ अध्ययनरत है वहीं अजजा वर्ग में 25 हजार 946 बालक–बालिकाएँ पढ़ रहे हैं। इन दोनों जाति वर्ग के अलावा एक लाख 45 हजार 849 बालक–बालिकाएँ अध्ययन कर रहे हैं।

(ब) कक्षावार नामांकन (2002)

S. No.	Name of Block	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			Total		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	आमेट	3431	3320	6751	1819	1704	3523	1447	1194	2641	1342	913	2255	1316	775	2091	1131	363	1494	872	263	1135	681	163	844	12039	8695	20734
2	भीम	4803	4774	9577	3262	2847	6109	2434	1901	4335	2431	1623	4054	2339	1185	3524	960	496	1456	703	359	1062	459	221	680	17391	13406	30797
3	देवगढ़	3722	3825	7547	1839	1595	3434	1473	1072	2545	1333	842	2175	1161	631	1792	783	343	1126	563	234	797	392	142	534	11266	8684	19950
4	कुंभलगढ़	4563	4716	9279	2254	1900	4154	1871	1374	3245	1788	1121	2909	1537	863	2400	814	353	1167	574	202	776	368	129	497	13769	10658	24427
5	खमनोर	6560	6139	12699	3759	3674	7433	3200	2733	5933	3268	2458	5726	2599	1883	4482	2303	1448	3751	1976	1193	3169	1538	949	2487	25203	20477	45680
6	रेलमगरा	3129	3202	6331	1823	1727	3550	1541	1303	2844	1345	1061	2406	1242	1037	2279	1039	651	1690	984	402	1386	768	422	1190	1192	9805	21726
7	राजसमन्द	6427	5952	12379	3069	3038	6107	2468	2076	4544	2308	1774	4082	1917	1519	3436	1831	1036	2867	1552	903	2455	1253	541	1794	20825	16839	37664
	Total	32635	31928	64563	17825	16485	34310	14434	11653	26087	13815	9792	23607	12111	7893	20004	8861	4690	13551	7224	3556	10780	5459	2567	8026	112364	88564	200928

स्त्रोत :– समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

जिले में समस्त विद्यालयों का कक्षावार नामांकन निम्नानुसार है कक्षा 1 से 8 तक बालक एवं बालिकाओं का कुल योग 200928 है। इसमें से 112364 बालक एवं 88564 बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित है। सातों ही ब्लॉकों में उपरोक्त आंकड़ों में राजकीय विद्यालय एवं निजी निकाय जिसमें राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी विद्यालय सम्मिलित है।

(स) मेनेजमेंट अनुसार नामांकन कक्षा 1 से 8 (2002)

क्र.सं.	जिला	राजकीय विद्यालय			निजी विद्यालय			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आमेट	11071	8156	19227	968	539	1507	12039	8695	20734
2	भीम	16281	12486	28767	1164	733	1897	17445	13219	30664
3	देवगढ़	9964	8146	18110	1198	695	1893	11162	8841	20003
4	कुंभलगढ़	13769	10688	24457	—	—	—	13769	10688	24457
5	खमनोर	21689	18519	40208	3514	1958	5472	25203	20477	45680
6	रेलमगरा	10379	8974	19353	1542	831	2373	11921	9805	21726
7	राजसमन्द	17412	14968	32380	3413	1871	5284	20825	16839	37664
	योग —	100565	81937	182502	11799	6627	18426	112364	88564	200928

स्त्रोत : — समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

जिले में राजकीय एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में कुल जमा 2 लाख 928 बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है, जिनमें 1 लाख 12 हजार 364 बालक एवं 88 लाख 564 बालिकाएं है। इस प्रकार बालक–बालिकाओं के बीच नामांकन में यहां दिखाए गए भारी अन्तर को पाटना सर्व शिक्षा अभियान की बड़ी चुनौती होगी।

विभिन्न विद्यालयों में नामांकन (2002)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक विद्यालय	47224	35771	82995	—	—	—	47224	35771	82995
उच्च प्राथमिक विद्यालय	24520	21645	46165	13532	9043	22575	3802	30688	68740
राजीव गांधी पाठशाला	17527	16042	33569	—	—	—	17527	16042	33569
अन्य विद्यालय	8354	5625	13979	1207	438	1645	9561	6063	15624
माध्यमिक / उ.मा.विद्यालय	611	419	1030	8109	3507	11616	8720	3926	12646

स्त्रोत – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

उपरोक्त सारणी में जिले के विभिन्न विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी पाठशालाएं, अन्य निजी मान्यता प्राप्त एवं शिक्षाकर्मी तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा अनुसार अलग–अलग कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तक के बालकों का नामांकन संप्रेशित किया गया हैं।

(द) उम्र के अनुसार नामांकन (2002)

उम्र	कक्षा								
	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
< 6	3521	2986	6507	–	–	–	3521	2986	6507
6 से 10	84554	72055	156609	107	91	198	84661	72146	156807
11 से 14	2716	2688	5404	21347	10691	32038	24063	13379	37442
> 14	–	-	–	119	53	172	119	53	172
योग	90791	77729	168520	21573	10835	32408	112364	88564	200928

स्त्रोत – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

राजसमन्द जिले में विभिन्न विद्यालयों का उम्र के अनुसा... ांकन 6 वर्ष से कम कुल 6507 इसी तरह 6 –10 वर्ष के कुल बालकों का नामांकन 156807 हैं तथा 11 से 14 वर्ष के बालकों का कुल नामांकन 37442 हैं एवं 14 वर्ष से उपर की आयु के बालक–बालिकाओं का कुल नामांकन 172 हैं। इस प्रकार जिले में कुल नामांकन 200928 हैं।

(ई) स्कूल के बाहर बच्चे :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	6–11 वर्ष तक के बच्चे			11–14 वर्ष तक के बच्चे			6–11 वर्ष के स्कूल के बाहर बच्चे			11–14 वर्ष के स्कूल के बाहर बच्चे			6–11 वर्ष के स्कूल के बाहर बच्चों का प्रतिशत			11–14 वर्ष के स्कूल के बाहर बच्चों का प्रति		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	आमेट	9505	8374	17879	2332	1270	4102	150	468	618	148	481	629	1.57	5.58	3.45	5.22	37.87	15.33
2	भीम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	देवगढ़	7528	6322	13850	3848	2456	6304	16	33	49	39	63	102	.21	.52	.35	1.01	2.56	1.61
4	कुंभलगढ़	9771	8282	18053	4442	3140	7582	8	10	18	14	20	34	.08	.12	.10	.31	.24	.28
5	खमनोर	15004	12867	27871	7765	5701	13466	15	17	32	4	10	14	.099	.132	.114	.051	.175	.108
6	रेलमगरा	7714	6742	14156	4225	3089	7314	78	223	301	70	160	230	1.01	3.30	2.12	1.65	5.17	3.14
7	राजसमंद	13894	11964	25858	7400	6323	13723	194	563	757	146	419	565	1.39	4.7	2.92	1.97	6.6	4.11
	योग –	63116	54551	117667	30512	21979	52491	461	1314	1775	421	1153	1574	0.73	2.40	1.50	1.37	5.24	2.99

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमंद

राजसमन्द जिले में कुल नामांकन 200928 होने के बावजूद भी निम्नानुसार बालक 6–11 वर्ष के बालक 1775 एवं 11–14 वर्ष आयु के बालक बालिकाएं 1574 विद्यालय से वंचित है जो कुल बालकों के प्रतिशत का 6–11 वर्ष के बच्चे 1.50 एवं 11–14 वर्ष के कुल बालकों की तुलना 2.99 प्रतिशत है। जो आभ भी विद्यालय से वंचित हैं। इन बालकों की वैकल्पिक व्यवस्था बालिका शिक्षण शिविर, सहज शिक्षा केन्द्र एवं शिक्षा मित्र केन्द्रों के द्वारा की जा रही है।

(एफ) एन.ई.आर. – 3.30 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय से बाहर।

(जी) जी.ई.आर. (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	जनसंख्या 6 से 14			नामांकन कक्षा 1 से 8			जी. ई. आर.		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आमेट	12337	9644	2181	12039	8695	20734	97.58	90.15	94.32
2	भीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	देगवढ़	11376	8778	20154	11321	8682	20003	99.51	98.90	99.25
4	कुंभलगढ़	14213	11422	25635	13769	10688	24457	96.87	93.57	95.40
5	खमनोर	22769	15568	38337	22750	18541	41291	99.91	99.85	99.889
6	रेलमगरा	11939	9831	21770	11921	9805	21726	99.849	99.735	99.797
7	राजसमन्द	21294	18287	39581	20825	16839	37664	97.79	92.08	95.16
	योग —	93928	73530	167458	92625	73250	165875	98.61	99.61	99.05

स्तोत्र — समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

6–14 आयु वर्ग की साक्षरता वृद्धि दर की दृष्टि से जिले का परिदृश्य काफी आशाजनक है जहां कुल जमा 1 लाख 67 हजार 458 बालक–बालिकाओं में से 1 लाख 65 हजार 875 बालक–बालिकाएं नामांकित है। इस प्रकार जी.ई.आर. जिले की 99.05 है जो सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का मजबूत आधार बन सकती हैं।

2.5 ठहराव दर :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	2002 वर्ष का कक्षा 1 में नामांकन			कक्षा 8 का नामांकन (2001–2002)			ठहराव दर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आमेट	3431	3320	6751	580	160	740	83.1 / 16.9	95.19 / 4.81	89.04 / 10.96
2	भीम	9803	4774	14577	2122	86	2208	78.36 / 21.64	98.2 / 1.8	84.89 / 15.11
3	देगवढ़	3722	3825	7547	392	142	534	89.47 / 10.53	96.19 / 3.71	92.93 / 7.07
4	कुंभलगढ़	4415	3795	8210	681	187	868	84.6 / 15.4	84.6 / 4.92	85.91 / 14.09
5	खमनोर	2434	2406	4840	623	498	1121	74.4 / 25.6	79.3 / 20.7	76.84 / 23.16
6	रेलमगरा	2398	2019	4417	770	422	1192	68.89 / 32.11	79.1 / 20.9	72.9 / 27.1
7	राजसमन्द	5924	5453	11377	681	296	977	88.51 / 11.49	94.58 / 5.42	91.42 / 8.58
	योग –	32127	25592	57719	5849	1791	7640	81.8 / 18.20	93.01 / 6.99	86.77 / 13.23

स्त्रोत : – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

राजसमन्द जिले में समस्त विद्यालयों में ठहराव दर कक्षा 1 के नामांकन के अनुपात में कक्षा 8 के नामांकन के अनुपात से निम्नानुसार है :– कक्षा 1 का आठ वर्ष पुराना रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण 2002 के कक्षा 1 के नामांकन का आनुपातिक ठहराव दर कक्षा 8 के 2001–02 के नामांकन के आधार पर निम्नानुसार निकाला गया हैं। बालकों की ठहराव दर वर्तमान में 18.20 एवं बालिकाओं की ठहराव दर 6.99 हैं। कुल ठहराव दर 86.77 के अनुपात में 13.23 वर्तमान में गत आठ वर्षों के अनुपात में उपलब्ध हुआ हैं।

2.6 ड्राप आउट दर :– (2002)

	कक्षा																										
	1			2			3			4			5			6			7			8			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
30 सित. 2001 को नामांकन	32724	29843	62567	16462	14156	30618	14010	10565	24575	11916	7985	19901	9400	6328	15728	6632	3176	9808	4740	2387	7127	3800	1716	5561	99684	76201	175885
साल के अन्त में नामांकन	28160	25151	53311	15370	13237	28607	13619	10193	23812	1766	744	19510	9373	6246	15619	6617	3155	9772	4731	2380	7111	3765	1726	5491	93401	69832	163233
ड्राप आउट		4692	9256	1092	919	2011	391	372	763	150	241	391	27	82	109	15	21	36	09	07	16	35	35	70	6283	6369	12652
ड्रापआउट दर	15.72	15.72	14.79	06.63	06.49	06.56	02.79	03.52	03.10	01.25	03.01	01.96	0.28	01.29	0.69	0.22	0.66	0.36	0.18	0.29	0.22	0.92	01.98	01.25	06.30	08.35	07.19

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, राजसमन्द

जिले में सत्र 2001–02 का समंक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कक्षा 1 से 8 तक ड्राप आउट दर कुल 7, 19 है जिसमें बालक ही दर 6.30 है वहीं बालिका ड्राप आउट दर 8.35 है। कक्षा 1 में यह दर बालकों की 13.94 तथा बालिकाओं की 15.72 है जिसे रोकना सर्व शिक्षा अभियान की पहली जरूरत होगा और इसके लिए जिले में प्रयास किया जा रहा हैं ताकि ड्राप आउट दर में ओर कमी लाई जा सकें।

2.7 रेपीटेशन दर :– (2002)

	कक्षा																											
	1			2			3			4			5			6			7			8			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पिछले साल का नामांकन	28160	25151	53311	15370	13237	28607	13619	10193	23812	11766	7744	19510	9373	6246	15619	6617	3155	9772	4731	2380	7111	3765	1726	5451	93401	69832	163233
पास आउट	26000	22876	48876	14891	12909	27800	13426	10045	23471	11643	7665	19308	9188	6150	15338	6380	3084	9464	4578	2349	6927	3668	1704	5372	89774	66772	156556
रेपीटेशन इस साल में	2160	2275	4435	479	328	807	193	148	341	123	79	202	185	96	281	237	71	308	153	31	184	97	22	119	3627	3050	6677
रेपीटेशन दर	7.67	9.04	8.31	3.11	2.47	2.82	1.41	1.45	1.43	1.04	1.02	1.03	1.97	1.53	1.79	3.58	2.25	3.15	3.23	1.30	2.58	2.57	1.27	2.16	3.88	4.36	4.09

स्त्रोत – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले में कक्षा 1 से 8 तक जहां बालकों की रेपीटेशन दर 3.85 है वहीं बालिकाओं की रेपीटेशन दर 4.36 है। कुल रेपीटेशन दर 4.09 है। यह कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन का इस पिछले वर्ष के नामांकन के अनुपात में पास आउट होने के पश्चात् इस वर्ष की रेपीटेशन दर हैं। जो इस साल में संख्यात्मक दृष्टि से 3627 बालक एवं 3050 बालिकाएं हैं। कुल रेपीटेशन 6677 हैं।

2.8 शिक्षकों की स्थिति :–

(अ) विद्यालय के अनुसार वर्गीकरण (2002)

क्र	विकास खण्ड	प्राथमिक			राजीव गांधी			उच्च प्राथमिक			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	आमेट	98	48	146	59	5	64	122	32	154	–	–	–	3	–	3	282	85	367
2	भीम	174	54	228	143	11	154	201	29	230	27	7	34	5	–	5	550	101	651
3	देवगढ़	93	31	124	51	5	56	134	45	179	23	7	30	1	–	1	302	88	390
4	कुंभलगढ़	149	37	186	103	2	105	126	29	155	96	9	105	12	–	12	486	77	563
5	खमनोर	180	163	343	172	81	253	287	143	430	22	3	25	2	2	4	663	392	1055
6	रेलमगरा	128	74	202	37	16	53	199	64	263	–	–	–	1	–	1	365	154	519
7	राजसमंद	152	154	306	91	25	116	214	98	312	–	–	–	2	–	2	459	277	736
	योग –	974	561	1535	656	145	801	1283	440	1723	168	26	194	26	02	28	3107	1174	4281

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय

जिले में कुल 4281 शिक्षक कार्यरत है जिनमें से 3107 पुरूष एवं 1174 महिला शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालयों में 1535, राजीव गांधी पाठशाला में 801, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1723, शिक्षाकर्मी विद्यालयों में 194, संस्कृत विद्यालयों में 28 शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यह बालकों के नामांकन के अनुपात में कम हैं।

(ब) जातीय अनुसार वर्गीकरण :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य			योग		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	आमेट	81	9	90	12	–	12	189	76	265	282	85	367
2	भीम	89	13	102	5	–	5	414	91	505	508	104	612
3	देवगढ़	89	23	112	10	–	10	256	97	353	355	120	475
4	कुंभलगढ़	87	7	94	86	4	90	313	66	379	486	77	563
5	खमनोर	71	31	102	22	15	37	570	346	916	663	392	1055
6	रेलमगरा	107	21	128	7	4	11	251	129	380	365	154	519
7	राजसमन्द	88	13	101	25	–	25	346	264	610	459	277	736
	योग –	612	117	729	161	23	190	2339	1069	3408	3118	1209	4327

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

विकास खण्ड वार जाति अनुसार अध्यापन कराने वाले कुल अध्यापक–अध्यापिका 4 हजार 327 है जिनमें 3118 पुरूष एवं 1209 महिला शिक्षक कार्यरत है। इनमें से अजा के 729 तथा अजजा के 190 अध्यापक अध्यापिकाएं कार्यरत है।

(स) योग्यता के अनुसार वर्गीकरण :– (2002)

विद्यालय प्रकार		योग्यता						
		माध्यमिक से नीचे	माध्यमिक	सीनियर माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य	योग
प्राथमिक	अप्रशिक्षित	2	–	5	3	–	–	10
	एस.टी.सी.	–	12	500	115	118	–	745
	बी.एड.	–	–	–	559	211	–	770
	एम.एड	–	–	–	–	6	–	6
उच्च प्राथमिक	अप्रशिक्षित	–	–	9	1	–	–	10
	एस.टी.सी.	–	–	324	210	174	–	708
	बी.एड.	–	–	–	657	298	–	955
	एम.एड	–	–	–	–	12	–	12
राजीव गांधी	अप्रशिक्षित	140	53	224	14	26	–	457
	एस.टी.सी.	–	–	78	74	2	–	154
	बी.एड.	–	–		146	26	–	172
	एम.एड	–	–			1	–	1

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजसमन्द

जिले में प्राथमिक स्तर पर अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 10 है जबकि एस.टी.सी. के 745, बी.एड. के 770 एवं एम.एड. के 6 अध्यापक है। उच्चप्राथमिक स्तर पर 10 अध्यापक अप्रशिक्षित, 708 एस.टी.सी., 955 बी.एड. तथा 12 एम.एड. है। राजीव गांधी पाठशाला में 457 अध्यापक अप्रशिक्षित, 154 प्रशिक्षित, 172 बी.एड. एवं एक एम.एड. अध्यापक कार्यरत है।

(द) अध्यापकों का वर्गीकरण :– (2002)

विद्यालय	1 अध्यापक	2 अध्यापक	3 अध्यापक	4 अध्यापक	5 अध्यापक	6 अध्यापक	7 अध्यापक	8 अध्यापक	8 से ज्यादा अध्यापक
प्राथमिक	196	352	79	41	29	5	–	2	4
उच्च प्राथमिक	10	24	125	54	63	41	26	20	23
राजीव गांधी	603	76	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	105	71	21	7	4	4	6	4	2
योग –	914	523	225	102	96	50	32	26	29

स्तोत्र– समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले में 914 विद्यालयों में एक अध्यापक है वहीं दो अध्यापक वाले 523 विद्यालय है। तीन अध्यापक वाले 225, 4 अध्यापक वाले 102, पांच अध्यापक वाले 96, छः अध्यापक वाले 50, 7 अध्यापक वाले 32, 8 अध्यापक वाले 26 तथा 8 से अधिक अध्यापक वाले 29 विद्यालय है।

(ई) अध्यापकों के रिक्त पद :– (2002)

क्र.सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			राजीव गांधी पाठशाला		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	आमेट	224	138	86	189	137	52	67	63	4
2	भीम	315	228	87	292	230	62	133	132	1
3	देवगढ़	221	144	77	193	157	36	50	50	–
4	कुंभलगढ़	290	186	104	273	155	118	107	105	02
5	खमनोर	386	343	43	497	430	67	259	253	6
6	रेलमगरा	220	203	17	266	263	3	55	50	5
7	राजसमन्द	364	306	58	374	310	64	117	116	1
	योग –	2020	1548	472	2084	1682	402	788	769	19

स्तोत्र : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

राजसमन्द जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी पाठशालाओं में निम्नानुसार है प्राथमि विद्यालयों में स्वीकृत पद 2020 है उसमें से 1548 कार्यरत है 472 रिक्त पद वर्तमान में हैं। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 2084 है उसके सामने 1682 कार्यरत है उसमें से 402 वर्तमान में रिक्त है इसी प्रकार राजीव गांधी पाठशालाओं में 788 कुल स्वीकृत पद है उसके सामने 769 कार्यरत है और 19 पद रिक्त है।

2.9 अध्यापक–शिष्य अनुपात :– (2002)

क्र.सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			राजीव गांधी पाठशाला		
		नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	टी.पी.आर.
1	आमेट	7595	138	1:55	5501	137	1:40	2636	63	1:41
2	भीम	10225	228	1:44	9729	230	1:42	7638	132	1:57
3	देवगढ़	9183	213	1:43	8393	210	1:39	2430	50	1:48
4	कुंभलगढ़	10613	186	1:57	8730	155	1:56	4824	97	1:50
5	खमनोर	13505	343	1:40	17112	430	1:40	9046	253	1:36
6	रेलमगरा	7185	203	35:30	7774	263	2950	2138	53	40:0
7	राजसमन्द	14771	306	1:48	9781	310	1:32	4857	116	1:42
	योग –	73077	1617	1:45	67020	1735	1:39	33569	764	1:44

स्तोत्र : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजसमन्द

जिले में शिक्षक – शिष्य अनुपात निर्धारित मानदण्ड 1:40 के मुकाबले प्राथमिक स्तर पर 1:45 उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:39 तथा राजीव गांधी पाठशाला में 1:44 है जिसमें सुधार अपेक्षित है।

2.10 विद्यालयों की भौतिक संसाधनों की स्थिति :– (2002)

राजसमन्द जिले में विद्यालयोंकी भौतिक संसाधनों की स्थिति प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजीव गांधी तथा अन्य विद्यालयों की स्थिति निम्नांकित सारणियों से स्पष्ट विदित होती हैं।

(अ) विद्यालय भवन (केवल सरकारी विद्यालय भवन) (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक			राजीव गांधी पाठशाला			उच्च प्राथमिक विद्यालय			अन्य		
		स्कूलों की संख्या	भवन सहित	W/O भवन	स्कूलों की संख्या	भवन सहित	W/O भवन	स्कूलों की संख्या	भवन सहित	W/O भवन	स्कूलों की संख्या	भवन सहित	W/O भवन
1	आमेट	88	86	02	59	44	15	27	27	—	03	03	—
2	भीम	106	106	—	132	132	—	45	45	—	—	—	—
3	देवगढ़	100	95	05	50	46	04	29	25	04	—	—	—
4	कुंभलगढ़	86	86	—	97	77	20	45	45	—	43	43	—
5	खमनोर	130	129	1	193	193	—	84	84	—	10	10	—
6	रेलमगरा	77	74	3	50	48	2	37	37	—	—	—	—
7	राजसमन्द	128	124	4	110		47	39	37	2	—	—	—
	योग —	715	700	15	691	603	88	306	300	06	56	56	—

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत 715 प्राथमिक विद्यालयों में से 15 विद्यालय भवन नहीं है, वहीं 691 राजीव गांधी पाठशालाओं में से 88 विद्यालय भवन बनाए जाने शष है। इसी प्रकार 306 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 6 विद्यालयों के भवन नहीं है।

(ब) कक्षा कक्ष (केवल सरकारी विद्यालय भवन) (2002)

विकास खण्ड	प्राथमिक							उच्च प्राथमिक							राजीव गांधी पाठशाला							अन्य						
	वि. सं.	कक्ष						वि. सं.	कक्ष						वि. सं.	कक्ष						वि. सं.	कक्ष					
		1	2	3	4	5	>5		1	2	3	4	5	>5		1	2	3	4	5	>5		1	2	3	4	5	>5
आमेट	86		48	20	5	7	6	27						27	59		44					03		03				
भीम	106		91	3	7		5	45							132		132											
देवगढ़	83		38	7	17	10	11	24					2	22	50		44											
कुंभलगढ	86		29	21	17	8	11	45		1	2	3	5	34	97		77					43		14	21	6	2	
खमनोर	130	4	57	39	16	8	6	84	—	1	6	8	5	64	193	—	162	1		—	—	10	—	10	—	—	—	—
रेलमगरा	74	—	18	18	16	7	15	37	—	—	2	2	5	28	50	—	48	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राजसमंद	128	—	29	34	22	18	25	39	—	—	3	—	6	30	110	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग —	682	4	268	173	100	58	79	301	15	10	16	21	29	210	691		600	3				56		27	21	6	2	

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर 682 विद्यालयों में से चार विद्यालय जहां एक कक्षा कक्ष है वहीं 268 विद्यालयों में दो कक्षा कक्ष है। तीन कक्षा कक्ष वोल 173, चार कक्षा कक्ष वाले 100 तथा पांच कक्षा कक्ष वाले मात्र 79 विद्यालय है। उच्च प्राथमिक स्तर के 15 विद्यालयों में मात्र एक कक्षा कक्ष है वहीं 10 विद्यालयों में 2 कक्षा कक्ष है। तीन कक्षा कक्ष वाले 17, चार कक्षा कक्ष वाले 21 तथा 29 विद्यालयों में पांच कक्षा कक्ष है। पांच से अधिक कक्षा कक्ष वाले 210 विद्यालय है।

राजीव गांधी पाठशालाओं में 600 विद्यालयों में दो कक्षा कक्ष एवं तीन विद्यालयों में तीन कक्षा कक्ष है। अन्य 56 विद्यालयों में से 27 में दो कक्षा कक्ष, 21 में तीन कक्षा कक्ष, 6 में चार कक्षा कक्ष एवं 2 में पांच कक्षा कक्ष है।

(स) पानी की सुविधा :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गांधी पाठशाला			अन्य		
		विद्यालय संख्या	पानी की जरूरत	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	पानी की जरूरत	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	पानी की जरूरत	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	पानी की जरूरत	जरूरत नहीं
1	आमेट	88	68	20	27	24	3	59	20	39	3	3	–
2	भीम	106	11	95	45	37	8	132		132			
3	देवगढ़	83	37	46	29	15	14	50	15	35			
4	कुंभलगढ़	86	58	28	45	36	09	97	77	20	43	35	8
5	खमनोर	130	55	75	84	49	35	193	135	58	10	1	9
6	रेलमगरा	77	75	2	37	37	–	50	41	9	–	–	–
7	राजसमंद	128	98	30	39	37	2	110	–	63	–	–	–
	योग –	698	402	296	306	235	71	691	335	356	56	39	17

स्त्रोत – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

लगातार अकाल के चलते जिले में विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराना बड़ी समस्या है। जिले में कुल 698 प्राथमिक विद्यालयों में से 402 में पेयजल सुविधा मुहैया करानी होगी वहीं 306 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 235 में पानी की जरूरत पूरी करनी होगी। राजीव गांधी पाठशालाएं भी जिले भर में 691 है जिनमें से 335 में पेयजल की समस्या है जबकि अन्य 56 विद्यालयों में से 39 में पानी मुहैया कराना शेष है।

(स) टॉयलेट सुविधा :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गांधी पाठशाला			अन्य		
		विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं
1	आमेट	88	70	18	27	27	–	59	59	–	3	3	–
2	भीम	106	66	40	45	25	20	132	82	50	–	–	–
3	देवगढ़	83	5	78	29	15	14	50	–	50	–	–	–
4	कुंभलगढ़	86	54	32	45	40	5	97	35	62	43	30	13
5	खमनोर	130	78	52	84	75	9	193	152	41	10	–	10
6	रेलमगरा	77	65	12	37	31	6	50	26	24	–	–	–
7	राजसमंद	128	116	12	39	34	5	110	–	63	–	–	–
	योग –	698	454	244	306	247	59	691	401	290	56	33	23

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले की 698 प्राथमिक विद्यालयों में से 454 में टॉयलेट सुविधा नहीं है वहीं 306 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 247 में यह सुविधा मुहैया कराई जानी है। इसी प्रकार 691 राजीव गांधी पाठशालाओं में से 401 में टॉयलेट की जरूरत है। जबकि 56 अन्य विद्यालयों में से 33 में टॉयलेट बनाए जाने है।

(ई) बाउन्ड्रीवाल :– (2002)

क्र. सं.	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गांधी पाठशाला			अन्य		
		विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं	विद्यालय संख्या	जरूरत है	जरूरत नहीं
1	आमेट	88	50	38	27	27		59		59	3		3
2	भीम	106	106		132	132		45	45				
3	देवगढ़	83	30	53	29	19	10	50		50			
4	कुंभलगढ़	86	74	12	45	45		97	20	77	43	26	17
5	खमनोर	130	96	34	84	66	18	193	4	189	10	—	10
6	रेलमगरा	77	42	35	37	28	9	50	3	47	—	—	—
7	राजसमंद	128	116	12	39	34	5	110	47	63	—	—	—
	योग –	698	514	184	393	351	42	604	119	485	56	26	30

स्तोत्र – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द

जिले की 514 प्राथमिक, 351 उच्च प्राथमिक, 119 राजीव गांधी पाठशाला एवं 26 अन्य विद्यालयों में चारदीवारी बनाया जाना शेष हैं।

2.11 प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग) की प्रशासनिक स्थिति :–

1– जिला स्तर :– जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा

2– अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा

अवर उपजिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा

सहायक लेखाधिकारी

कनिष्ठ लिपिक

चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी

3– ब्लॉक स्तर :– ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा

अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी

लेखाधिकारी

कनिष्ठ लिपिक

चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी

अध्याय – 3

योजना प्रक्रिया

3.1 योजना प्रक्रिया :– सर्व शिक्षा अभियान की प्रायोजना को तैयार करने बाबत् सर्वप्रथम ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित की गई। तथा सर्व शिक्षा अभियान की प्रायोजना के बारे में ग्रामीण स्तर के लोगों के साथ विचार–विमर्श कर इस योजना को बताया गया। तथा उन लोगों से इस योजना के बारे में सुझाव आमन्त्रित किए गए।

इसी तरह ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की जानकारी पर चर्चा कर उन्हें सर्व शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है ? इस बारे में बताया गया। उपरोक्त विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नाकित सुझाव तीनों स्तरों से प्राप्त हुए।

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु अधिक से अधिक कार्य किए जाए
2. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय।
3. जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा की नोडल एजेन्सी रखा जाय तथा विभिन्न प्रकल्प इनके अधीन कार्य कर शैक्षिक व्यवस्था को मजबूती दे।
4. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाय तथा परियोजना अधिकारी इनके अधीन रहते हुए शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता की मजबूती करें।
5. समस्त प्रकार के प्रशिक्षण (अभिमुखीकरण, विषय वस्तु आधारित, सहायक सामग्री एवं अन्य) को डायट के द्वारा करवाया जाय।
6. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण किया जाय।
7. विद्यालयों में सह शैक्षिणक एवं सहायक शिक्षण सामग्री के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय।

3.2 समस्याओं की पहचान एवं उनके समाधान :–

(अ) पहुंच (Access) – आज से तीन–चार वर्ष पूर्व हर छोटे गांव/ढाणी में शिक्षा पहुंचाना कठिन था। हर गांव मे विद्यालय नहीं थे किन्तु अब छोटे–छोटे गांवों में भी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोले जाने से पर्याप्त संख्या में बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाई है। जिले के कुल प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालय आनुपातिक दृष्टि से काफी कम हैं। प्रत्येक बालक/बालिका उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय जहॉ विद्यार्थियों की पहुॅच हो सकें, खोलना आवश्यक है। राजसमन्द में वर्तमान में प्राथमिक, राजीवगांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला, शिक्षाकर्मी एवं संस्कृत विद्यालय कुल 1472 हैं। जबकि इन से पांचवी पास विद्यार्थियों के लिए मात्र 337 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिले की कुल जनसंख्या 986269 में 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 250000 बालक–बालिकाएं है। इनकी तुलना में आनुपातिक दृष्टि से उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति नितांत आवश्यक है।

राजसमन्द जिले में पहाड़ी भू–भाग अत्यधिक हैं और वर्षा का प्रतिशत कम है अतः अधिकांश व्यक्ति दैनिक मजदूरी द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं इसी कारण यहां बालकों का विद्यालय तक पहुंचना कम होता है। इसके निम्नांकित कारण दृष्टिगत होते है।

1. राजसमन्द जिले में राजस्व गांवों के अलावा दूर–दूर तक छितरे मजरे एवं ढ़ाणियां अत्यधिक हैं अतः ढ़ाणियों की दूरी होने से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं।
2. निर्धनता :– लगातार दुर्भिक्ष के कारण जिले में गरीबी का प्रतिशत बढ़ा है। अतएव अभिभावकों के साथ बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी न किसी श्रम साध्य रोजगार से जुड़ जाते हैं। राजसमन्द में मार्बल की खदानों की अधिकता ने इन्हें रोजगार मुहैया कराया है। ऐसे बालकों को विद्यालय से जोड़ना दुष्कर कार्य हैं।
3. पारिवारिक काम काज में हाथ बॅटाना भी एक कारण है। बच्चे स्कूल नहीं जाकर अपने घर पर माता–पिता के घरेलू एवं कृषि कार्य में हाथ बटाते है मवेशी चराने एवं छोटे भाई बहिनों की देखभाल भी इसके कारण हैं। बालिका शिक्षा के प्रति क्षेत्र में जागरूकता की कमीं ।

3.3 लोक जुम्बिश द्वारा पहुंच के प्रयास :–

1. शाला मानचित्रण द्वारा प्राप्त आंकड़ों से गांवों का चयन कर वहां सहज शिक्षा केन्द्र खोलकर दूर दराज के गांवो के कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा।
2. सहज शिक्षा केन्द्रों के संचालन का समय निर्धारित कर उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई है।
3. अध्ययनरत शिक्षार्थियों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क मुहैया करवाई गई हैं।
4. रोजगार हेतु पलायन कर आने वाले क्षेत्रों पर सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्र खोलकर पहुंच आसान बनाई है।

5. विद्यालयी शिक्षकों को व्यवसाय को प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित भाव की प्रेरणा दी गई इससे भी पहुंच के प्रति सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ परिणामतः शिक्षा आपके द्वार के तहत औपचारिक विद्यालय में अपेक्षित नामांकन में वृद्धि हुई हैं। छात्र–शिक्षक सम्बन्धों में निकटता हुई।

6. इस वर्ष में सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्र आवश्यकता के अनुसार खोले जाएगें इनके अतिरिक्त वंचित बालिकाओं के लिए 7 माही आवासीय बालिका शिक्षण शिविर लगाकर हरसंभव प्रत्येक बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

3.4 पहुंच के प्रयास में सहभागी अन्य विभागीय उपक्रम :–

❖ महिला एवं बाल विकास

राज्य में वर्ष 1985 में गठित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन वर्तमान में निम्न कार्यकमों का संचालन किया जा रहा है।

(1) समेकित बाल विकास सेवा कार्यकम (आई.सी.डी.एस.)

(2) महिला विकास कायकम ¼ण्क्ण्च्द्व

समेकित बाल विकास सेवा कार्यकम – एक परिचय

राष्ट्रीय बाल विकास नीति के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं की बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यकम की शुरूआत प्रथनतः राजसमन्द तहसील में हुई। इसके अन्तर्गत 110 केन्द्र खोले गये। आज इसका पूरे जिले में निरन्तर विस्तार हो रहा है। कार्यकम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. वर्ग 0–6 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिये आधार तैयार करना।
3. बाल मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. पोषाहार, स्वास्थ्य–शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को योग्य बनाना।

इस कार्यकम के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :–

(1) पूरक पोषाहार :– इससे 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं लाभान्वित होती हैं।

(2) शाला पूर्व शिक्षा :– 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे विद्यालय में प्रवेश से पूर्व विद्यालय जाना आना एवं सामान्य जानकारी सीख पाते हैं।

(3) पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा :– 15–45 वर्ष की महिलाओं को उम्र के अनुसार संतुलित भोजन, एवं कुपोषण से बचाव तथा स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।

(4) प्रतिरक्षण :– 0–6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाएं को लगाने वाले टीके की पूर्ण जानकारी के साथ टीकाकरण हो रहा है।

(5) स्वास्थ्य जाँच :– समय–समय पर 0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच का कार्य चलता रहता है जिससे उन्हें घर बैठे यह सुविधा प्राप्त हो रही है।

3.5 शिक्षाकर्मी परियोजना :–

राजसमन्द में शिक्षाकर्मी परियोजना का शुभारंभ 1987–88 से हुआ। परियोजनान्तर्गत दूर–दराज के ऐसे गांवों का चयन किया गया जहॉ शिक्षा का पूर्ण अभाव था, सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे तथा जहॉ अध्यापक अनियमितता से ग्रस्त थे तथा जो गांव भौगोलिकता की विकट परिस्थितियों में स्थित हैं। ऐसे स्थान पर शिक्षा हेतु आशा की एक किरण के रूप में विकसित शिक्षाकर्मी परियोजना द्वारा वर्तमान में 78 प्राथमिक शिक्षाकर्मी विद्यालय संचालित हैं। इसमें नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है।

शिक्षाकर्मी विद्यालय	–	83				
शिक्षाकर्मी की संख्या	–	182	महिला	– 152	पुरूष	– 30
नामांकन	–	8164	बालक	– 2991	बालिका–	5173
प्रहर पाठशाला	–	35				
नामांकन	–	105	बालक – 6		बालिका – 99	

3.6 लोक जुम्बिश परियोजना :–

लोक जुम्बिश परियोजना लोक सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु प्रयासरत है। राजसमन्द जिले में 7 पंचायत समिति एवं 1004 गॉव है। राजसमन्द जिले में इस परियोजना का कार्य 1996 से तीन विकास खण्डों रेलमगरा, खमनोर और राजसमन्द में प्रारंभ हुआ। अन्य 4 विकास खण्डों में नवम्बर 2001 से कार्य आरंभ हुआ। कार्य को सहज एवं गुणवता युक्त किए जाने की दृष्टि से विकास खण्डों को 30–35 गॉवों पर एक संकुल के अनुसार संकुलों में विभाजित किया गया। इस प्रकार पूरे जिले को 30 संकुलों में विभाजित किया गया है।

3.7 राजसमन्द जिले में लोक जुम्बिश की गतिदिधियॉ :–

(1) वातावरण निर्माण :– वातावरण निर्माण बुवाई से पूर्व जमीन तैयार करने की भांति एक प्रकिया है। राजसमन्द जिले में वातावरण निर्माण विभिन्न आयामों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम सभा, नुक्कड़ सभा, कठपुतली कार्यकम कला जत्था, घर–घर वार्ता एवम् टी.वी., वी.सी.आर. से लोक जुम्बिश परियोजना की गतिविधियों द्वारा 766 गॉवों में वातावरण निर्माण किया जा रहा है।

(2) प्रेरक दल गठन :– गॉव का विकास, गॉव की समस्या से जुझने के लिए गॉव में सकिय वातावरण बनाने एवम शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रेरकदल जो गॉव का हो, गॉव के लिए सोचे, गॉव/स्कूल की समस्या को जाने, विचार करे और हल करे इसी सोच को लेकर प्रेरक दल का चयन किया गया। चयन उपरान्त लोक जुम्बिश की धारणा, कार्य, लोक जुम्बिश द्वारा सहयोग कैसे, और किस प्रकार का आदि, की जानकारी जन–जन को देने हेतु प्रेरक दल प्रशिक्षण कर प्रेरक दल का गठन हो रहा है। राजसमन्द जिले के अब तक 554 गॉवों में प्रेरक दल गठन हो चुका है।

(3) महिला समूहों का गठन :– महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोक जुम्बिश एक मंच प्रदान करता है। महिला केवल घर की वस्तु न रह जाय, इस सोच के लिए महिला की सम्पूर्ण गतिवधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना ही लक्ष्य है। इस हेतु पहले प्रत्येक गॉव में महिला समूहों का चयन किया जाता है। चयन में प्रत्येक वर्ग की महिला की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनमें छिपी हुई प्रतिभा को उभार कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने महिलाओं का सकिय योगदान लिया जाता है। चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लोक जुम्बिश की गतिविधियों की जानकारी के साथ–साथ समाज में उनके महत्व को भी उभारा जाता है ताकि बालिका शिक्षा में सहभागी बन सकें। अब तक जिले में 345 महिला समूहों का गठन किया गया है।

(4) शाला मानचित्रण :– लोक जुम्बिश परियोजना में शाला मानचित्र एक अहम् प्रक्रिया है। इससे गॉव की वास्तविक शैक्षिक स्थिति का आंकलन युक्त नक्शा बन सके इसी सोच के लिए शाला मानचित्र गॉव के प्रेरक दल द्वारा बनाये प्राप्त जाते हैं। इसी क्रम में राजसमन्द जिले में 523 गॉवों का शाला मानचित्रण का कार्य पूर्ण हो सका है।

(5) ग्राम शिक्षा समिति :– ग्राम शिक्षा समिति प्रेरक दल, महिला समूह एवम् अन्य गॉव की समिति में से जागरूक एवम् शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तियों का समूह हैं जो गॉवों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। ग्राम शिक्षा समिति का ध्येय है शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना, बालिका शिक्षा के लिए कार्य करना तथा एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर गॉव की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अभी राजसमन्द जिले में अभी 32 ग्राम शिक्षा समितियां सकियता से कार्य कर रही है।

(6) किशोरी मंच :– किशोरी मंच एक ऐसा मंच होता है जिसके माध्यम से बालिकाओं के किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं सम्प्रेषण एवम् बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाते हैं। मासिक बैठकों में इनकी समस्याओं एवम् स्वास्थ्य पर चर्चा की जाती है। अब तक राजसमन्द में 23 किशोरी मंच बनाये जा चुके हैं।

(7) भवन विकास :– शिक्षा के सार्वजनीकरण में विद्यालय भवन का भी अपना महत्व होता है। इस हेतु राजसमन्द जिले में 40 भवन निर्माण कमेटियों का गठन किया जा चुका है। ये समितियां विद्यालय की मरम्मत/निर्माण का कार्य गुणवता युक्त करवाती है एवं जन सहयोग प्राप्त करती है।

(8) सहज शिक्षा केन्द्र :– गॉवों के दूर–दराज क्षेत्रों में ऐसे बालक–बालिकाएँ जिनकी उम्र 9–14 वर्ष है और विद्यालय जाने में असमर्थ है। कामकाजी बच्चों के लिए सहज शिक्षा केन्द्र खोले जाते है। जिनका समय बच्चों की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाता है। प्रारम्भ में इनकी स्वीकृति खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति द्वारा की जाती थी जिसके तहत राजसमन्द जिले में 8 सहज शिक्षा केन्द्र संचालित थे। अब यह कार्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। जिले में संचालित 127 सहज शिक्षा केन्द्रों पर 400 बालक एवं 2010 बालिका कुल 2410 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तथा 56 शिक्षा मित्र केन्द्रों पर 191 बालक एवं 760 बालिकाएँ कुल 951 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(ब) ठहराव :–

पहली कक्षा में प्रवेश के उपरान्त 5 वर्ष बाद छात्र 5वीं कक्षा में भी उतने ही रहे जितने प्रथम कक्षा में प्रवेश हुए तो शत–प्रतिशत ठहराव होता है, किन्तु राजसमन्द जिले में ठहराव मात्र 26 प्रतिशत ही है। अतः ठहराव न होना एक समस्या है। इसके निराकरण के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाने पर ठहराव निश्चित रूप से बढ़ सकेगा।

1. पाठ्यक्रम को रूचि पूर्ण बनाना।
2. प्रार्थना एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान का नियमित होना।
3. शिक्षक का नियमित विद्यालय पहुंचना।
4. रोजगार मुखी पाठ्यक्रम होना।
5. पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता का पूर्ण समावेश होना।
6. पाठ्यक्रम में नवीन नव. ारों का समावेश होना।
7. गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना।
8. शिक्षा को अनिवार्य करना।
9. समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन कर अभिभावकों को प्रेरित कर शिक्षा के महत्व को समझाना।
10. आनंददायी शिक्षण की व्यवस्था।
11. विद्यालय को आधारभूत भौतिक एवं उपकरण सुविधा जुटाना।
12. शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य कम से कम सौंपना ताकि शिक्षा में गुणवता बढ़ सकें।

(स) गुणवता :–

औपचारिक विद्यालयों एवं वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्थाओं से जुड़े सभी बालक–बालिका गुणवत युक्त शिक्षा प्राप्त करे। 6–14 वर्ष की आयु अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर की अपेक्षित स्तर की शिक्षा पूर्ण करें ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अुनसार की गई हैं।

शिक्षा में गुणात्मकता की स्थिति को निम्न कारक प्रभावित करते हैं :–

1. कई स्थानों पर शिक्षा व्यवस्थाएँ दूरी पर होना। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों कुंभलगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़ तथा आदिवासी क्षेत्र के कारण पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में होने से बालक बालिका का अनियमित ठहराव गुणवता को प्रभावित करता हैं।

2. नियमित उपस्थिति :– छात्रों को जिन्हें विद्यालयों से जोड़ा गया है। उनको पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थिति नहीं रहने से गुणात्मकता प्रभावित होती है।

3. ठहराव :– पांच वर्षों से संतोषप्रद स्तर की प्राथमिक शिक्षा और 8 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर पाने जैसी स्थितियॉ अभी जिले में नहीं बनी हैं।

4. आनन्ददायी शिक्षण :– बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को विद्यालयों में नीरस तथा उबाऊ तरीके से सम्पादित किया जाता रहा है। इस हेतु शिक्षकों द्वारा आनंददायी शिक्षण विधाओं को अपनाना होगा।

5. छात्र शिक्षक अनुपात :– वर्तमान में जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या एवं छात्रों की संख्या में अनुपात 1:70 है। इससे शिक्षा में गुणात्मकता एवं बालिका के सीखने की दर प्रभावित होती है। लोक जुम्बिश परियोजना की संकल्पना में यह अनुपात 1:25 है। इससे शिक्षक प्रत्येक बालक पर समुचित ध्यान दे सकता है।

6. शिक्षक सहायक सामग्री :– शिक्षा में गुणात्मकता के लिए शिक्षण को आनंदायी बनाने और बच्चों में सीखने की रूचि बढ़ाने के लिए शिक्षण के समय टी.एल.एम. का प्रयोग नाम मात्र का ही होता है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मकता विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में दूर–दराज के विद्यालयों में टी.एल.एम. की उपलब्धता अपेक्षित है।

7. शिक्षक प्रशिक्षण :– ज्ञान संप्रेषण की विधा को आनंददायी बनाने और हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण के माध्यमों से सोच में बदलाव के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों में ही आयोजित किये जावे। जिससे प्रशिक्षण अवधि के दिनों में सीधा लाभ बच्चों को मिल सकें।

परिवेश से सीखना :–

कक्षा–कक्षों एवं विद्यालय परिसर को सीखने–सिखाने का बगीचा चाहिये वर्तमान में विद्यालयी भवनों की स्थितियॉ ही सोचनीय है।

(द) सामर्थ्य विकास :–

शिक्षा व्यवस्थाओं एवं इस क्षेत्र के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों ने बदलते परिवेश, पाठ्यक्रम, सामाजिक सोच, शिक्षण, विद्यार्जन भागीदारी एवं समुदाय द्वारा शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की प्रक्रियाओं तक प्रत्येक स्तर पर सामर्थ्य विकास आवश्यक है।

1. छात्र एवं विद्यालय स्तर पर सामर्थ्य विकास

2. शिक्षक के स्तर में सामर्थ्य विकास

3. अधिकारी स्तर पर सामर्थ्य विकास एवं कार्यालय स्तर पर।

4. अभिभावक स्तर पर सामर्थ्य विकास

5. विभिन्न विभागों से सहयोग हेतु सामर्थ्य विकास

6. जनप्रतिनिधियों के स्तर पर सामर्थ्य विकास

7. पाठ्यक्रम (शिक्षा क्रम) स्तर पर

8. शिक्षा समिति का निर्माण कर सामर्थ्य विकास

9. नियमित बैठकें कर सामर्थ्य विकास

10. समय–समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर सामर्थ्य विकास किया जावें।

11. अच्छे अध्यापकों को पुरस्कृत कर सामर्थ्य विकास

12. अच्छे परिणाम देने वाले शिक्षकों को अपनी इच्छित स्थान पर नियुक्त करके सामर्थ्य विकास किया जावे।

13. अभिभावकों की मासिक बैठक कर संभावित सामर्थ्य विकास।

उपरोक्त स्तरों पर क्षमता विकास के लिए समीक्षा, नियोजन बैठकें, प्रशिक्षण आदि अपेक्षित हैं। जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समुदाय व देश के हित में चिर स्थाई बनाया जा सकें। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल बना कर इसे पूरे जिले में वर्ष पर्यन्त एक नियमित गतिविधि के रूप में लागू किया। शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं जैसे लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, साक्षरता मिशन आदि के अनुभवों एवं भागीदारी र क्षमता विकास का कार्य किया जावेगा।

14 छात्र–स्तर :– शनिवारीय सभाएँ, प्रार्थना सभाओं के माध्यम से छात्रों में क्षमता विकास एवं व्यक्तित्व विकास कार्यकम लागू किये जायेंगे। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सामर्थ्य विकास हेतु विभिन्न गतिविधियाँ जैसे – बाल मेले, प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएँ नियमित करके विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किये जावेंगे।

(य) विशेष वर्ग :–

राजसमन्द जिला मूलतः उदयपुर जिले से पृथक कर बनाया हुआ है। जिले की 7 तहसीलें कमशः नाथद्वारा, राजनगर, रेलमगरा, कुंभलगढ़, देवगढ़, आमेट, भीम से बना इस जिले का 60 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र एवं 40 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है।

इस जिले की जनसंख्या 10 लाख है तथा अजा, अजजा का प्रतिशत भी अत्यधिक है। इस जिले में वर्षा की कमी एवम् कृषि वर्षा पर ही निर्भर हैं ज्यादातर व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। जीवन स्तर बहुत निम्न है। अजा, अजजा एवं बालिका शिक्षा अभिवृद्धि के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

(र) राजसमन्द में अनुसूचित जातियों की स्थिति :–

राजसमन्द में अनुसूचित जातियों प्रतिशत लगभग 25 प्रतिशत है। इन जातियों में शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत पढ़ाई का स्तर अच्छा है।घरेलू व्यवसाय एवम् अन्य व्यवसाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित होने से शिक्षा का स्तर बढ़ा है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इन जातियों में शिक्षा का स्तर निम्न है। बच्चे कम पढ लिख कर मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते है अतः इनकी समुचित शिक्षा एवं अंशकालिक रोजगार व्यवस्था करके उन्हें बाहर जाने से रोका जा सकें।

(ल) **राजसमन्द में अनुसूचित जन जातियों की स्थिति :–**

राजसमन्द जिले में 8 से 10 प्रतिशत जनसंख्या जन–जातियों की है। इन जन–जातियों का कार्य पशुपालन, जंगल उत्पाद संकलन मजदूरी हैं अतः इस जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए पलायन करते है। वर्षा होने पर पुनः वह अपने गॉव आ जाते है। परिणामतः छोटे बच्चे अपने माता–पिता के साथ पलायन करते रहते हैं। इनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु पलायन रोक कर आजीविका के लिए प्रयास या इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल सुविधा उपयुक्त रहेगी। ताकि पलायन रोका जा सके।

राजसमन्द जिले में नाथद्वारा एवं कुंभलगढ़ तहसीलों में जन–जातियों की संख्या अत्यधिक है। वहॉ हॉस्टल सुविधा का विकास करके इन परिवारों के बच्चों को पलायन से रोका जा सकता है। राजसमन्द में मार्बल खदानों पर कार्य करने वालों के लिए मोबाईल शाखा खोलकर शिक्षा की सुविधा की जावे तो शिक्षा का स्तर में सुधर संभव है।

(व) **अन्य समस्या :–**

1. विद्यालयों में राजनैतिक दखलअंदाजी भी विद्यालय प्रशासन संचालन एक अहम् समस्या है जिसका निस्तारण अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक कर किया जा सकता है।
2. विद्यालय संस्था प्रधान को अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यालय प्रबन्धन में बाहरी हस्तक्षेप में रोक कर्मचारियों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सके।
3. शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य वर्ष भर सौपे जाते रहते है जिससे शिक्षण गुणवता, बालक का ठहराव प्रभावित होता है। ऐसे में उसे गैर शैक्षिक कार्यो से मुक्त किया जाना चाहिए।
4. उपरोक्त कारणों के कारण धीरे–धीरे शिक्षक की अक्रमण्यता व्याप्त होती जा रही है शिक्षक में शिक्षण के प्रति उपेक्षा व्याप्त हो गई हैं। इसी कारण शिक्षा में गुणवता की कमी महसूस की जा रही हैं।
5. शिक्षक का ठहराव अपने पदस्थापन पर नहीं होना भी एक अहम् भूमिका साबित होती हैं। जब तक शिक्षक का ठहराव अपने पदस्थापन स्थान पर नहीं होगा तब तक शैक्षिक गुणवता एवं विद्यालय भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में अपेक्षा नहीं की जा सकती और गांव के जनवासियों से शिक्षक का जुड़ाव भी परिलक्षित नहीं हो पाएगा।

✣ ✣ ✣

अध्याय – 5

पहुंच एवं ठहराव

5.1 पहुंच :–

राजस्थान के दक्षिण में स्थित राजसमन्द जिले में सात ब्लॉक आमेट, देवगढ़, भीम, कुंभलगढ़, रेलमगरा, खमनौर एवं राजसमन्द हैं। इन ब्लॉकों के क्षेत्रों में शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात, ठहराव दर अध्यापक आवश्यकता एवं पहुंच के सम्बन्ध में वृहद् विश्लेषण की आवश्यकता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव दर, पहुंच एवं अध्यापकों की छात्रानुपात में आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। जिले में शिक्षा गारन्टी योजना अन्तर्गत दूरदराज के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पहुंच दर :– शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राजसमन्द जिले में शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक विद्यालय प्राथमिक, रागापा, सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्र एवं बालिका शिक्षण शिविर और चल विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। जिले की सकल पहुंच दर (जी.ए.आर.) निम्नानुसार ज्ञात करेंगे।

सकल पहुंच दर = विद्यालय सुविधा वाले गांवों की संख्या X 100

कुल गांवों की संख्या

सकल पहुंच दर – 1854 X 100

———— X 100 = 81.07

2287

81.07 प्रतिशत वास स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। जिले के 18.93 प्रतिशत वास स्थानों में विद्यालयों स्थानों में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का विशेष प्रावधान किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति :– प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए जिले ने उच्च मानदण्ड स्थापित किये हैं। 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है प्रायः प्रत्येक बालक–बालिका की पहुंच में विद्यालय स्थित है। जहॉ यह स्थिति नहीं थी, वहां लोक जुम्बिश द्वारा इसकी आपूर्ति की गई है। किन्तु उच्च प्राथमिकीय क्षेत्र में स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती । बालक–बालिकाओं की पहुंच से दूर सीमित उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, तथा उनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय के मानदण्ड भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के दौरान इस कमी को पूरा किया जाएगा। यदि 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहॉ पर एक प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रथम वर्ष 03–04 में 45 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। द्वितीय वर्ष शून्य, तृतीय वर्ष 90, चतुर्थ वर्ष 46

अध्यापकों की आवश्यकता :–

राजसमन्द जिले में 30 सितम्बर 2001 के आधार पर 778 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं तथा द अनुपात एक में क्रमोन्नत के आधार पर लगभग 361 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी इन विद्यालयों में से 64 विद्यालय को वर्ष 2002–03 में क्रमोन्नत किया जा चुका है तथा शेष 29 विद्यालयों को औसतन 60 प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष के हिसाब से आगामी 5 वर्षों में क्रमोन्नत किया जावेगा। इन क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु अध्यापकों की प्रोजेक्ट संख्या औसतन प्रति विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 के हिसाब से वर्ष 03–04 में 387, वर्ष 04–05 में 220, वर्ष 05–06 में 377, वर्ष 06–07 में 116, वर्ष 07–08 में 68, वर्ष 08–09 में 70, वर्ष 09–10 में 72 अध्यापकों की आवश्यकता रहेगी जो प्रस्तावित है।

5.2 ठहराव :–

राजसमन्द जिला एक पहाड़ी खनन क्षेत्र होने के कारण ठहराव दर मात्र 26 प्रतिशत ही है और इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के बहुत प्रयास वांछित हैं।

ठहराव के लिये प्रयास :–

1. प्रार्थना सभा का प्रभावी होना।
2. शिक्षकों का वासस्थान पर ठहराव होना नितान्त अवश्यक हैं।
3. शिक्षा में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का होना।
4. जनभागीदारी को सुनिश्चित करना।
5. समय–समय पर शिक्षक प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित कर गुणवता को बढ़ाना।
6. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का होना।
7. गरीब बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना।
8. छात्राओं के लिये सामाजिक भागीदारी का होना।
9. सर्व शिक्षा अभियान के महत्व को जानना।
10. स्वैच्छिक भागीदारी
11. लोक (जनता) से जुड़ाव।

समाजों में गतिशीलता लाने हेतु निम्नलिखित कार्यकम आयोजित किये जा सकेंगे :–

- **बाल मेला** :– इन मेलों का आयोजन कर शिक्षित एवं अशिक्षित बालकों का वार्तालाप कराया जावेगा। तथा उन्हें शिक्षा की आवश्यकता समझाई जावेगी। विभिन्न प्रकार के कार्यकम आयोजित कर समाज को जोड़ने का प्रयास किया जावेगा।
- **कला जत्था** – सामाजिक जुड़ाव में कला जत्था अनूठी भूमिका निभाते हैं। इन कार्यकमों से समाज में जुड़ाव व गतिशीलता आती है तथा उससे प्रदर्शन शिक्षाप्रद भी होना चाहिए।

एवं पॅचम वर्ष में 71 एवं षष्टम् वर्ष में 45 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय को 50,000 रुपये की टी.एल.एम. राशि प्रदान की जायेगी तथा तीन कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में एक प्रधानाध्यापक एवं एक अध्यापक, दूसरे वर्ष में दूसरा अध्यापक इस क्रम में प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित छः अध्यापकों का प्रावधान किया जायेगा।

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन

राजसमन्द जिले में वर्ष 2003–07 के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना में संचालित 78 विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना है। वर्ष 2003–07 में 680 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्ष 2002–04 में 45, वर्ष 2005–06 में 90, और वर्ष 2006–07 में 46, वर्ष 06–07 में 71, वर्ष 07–08 में 45 विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 2:1 का अन्तर दृष्टिपात होता है।

शिक्षा गारन्टी योजना :–

राजसमन्द जिले में सात ब्लॉक क्रमशः आमेट, देवगढ़, कुंभलगढ़, खमनोर, रेलमगरा एवं राजसमन्द है। वर्तमान में इन ब्लॉक में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 185403 है।

राजसमन्द जिले में ब्लॉक अनुसार कुल नामांकन 6–14 आयु वर्ग (2002–03)

सारणी संख्या 5.1

क्र. सं.	विकास खण्ड	ग्रामीण			शहरी			कुल योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	आमेट	9178	7084	16262	2017	1289	3306	11195	8373	19568
2	भीम	16631	13098	29729	–	–	–	16631	13098	29729
3	देवगढ़	9033	6951	15984	2238	1733	3971	11271	8684	19955
4	कुंभलगढ़	13216	10752	23968	–	–	–	13216	10752	23968
5	खमनोर	18921	15675	34596	2593	2640	5233	21514	18315	56110
6	रेलमगरा	9956	7528	17484	–	–	–	9956	7528	17484
7	राजसमन्द	15298	13070	28368	5521	2981	6502	20819	16051	34870
	योग	92233	74158	166391	10369	6643	19012	102602	82801	185403

स्त्रोत – शाला संमक 2002–03

➢ **माता शिक्षिक परिषद्** — एम.टी.ए. की मासिक मिटिंग सामुदायिक गतिशीलता में चार चॉद लगाती हैं। माताऐं शिक्षिकाऐं समाज को जोड़कर मुख्य भागीदारी निभाती हैं।

➢ **माँ–बेटी मंच** — माँ–बेटी मंच का गठन भी सामुदायिक गतिशीलता में प्रबल एवं जवाबदेही भागीदारी प्रयास करता है।

उक्त कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो की सहभागिता आवश्यक है। जब तक समाज में गतिशीलता नहीं होगी, कार्यक्रम प्रभावी नहीं होगा। अतः कार्यक्रमों में जनसहभागिता पर्याप्त मात्रा में हो, इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाना उचित रहेगा। सामुदायिक गतिशीलता की सफलता समुदाय की सहभागिता ही है।

सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता विभिन्न कार्यक्रमों को समायोजित करते हुए 2000/– रूपये प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिवर्ष देय होंगे।

व्यवसायिक शिक्षा से बच्चों को जोड़ना :–

आज की शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है और समय की मॉग रोजगारोन्मुखी शिक्षा है। इस स्थिति से दृढ़ता से निपटने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात विशेष तौर से उभर कर सामने आयी है। यह शिक्षा बच्चों को रोजगार के साथ–साथ उन्हें स्वावलम्बी बनकर जीने में भी भरसक मदद करेगी। आज देश के कर्णधारों, राजनीतिज्ञों एवं बुद्धिजीवी वर्ग ने बच्चों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा की भावना को जानकर ही व्यवसायिक शिक्षा देने पर जोर दिया है। ऐसी शिक्षा बच्चों को शिक्षण व्यवस्था के साथ–साथ दी जाती है। इस शिक्षा से एक और बच्चों को स्वावलम्बी बनने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी और उनमें दिल एवं दिमाग से बेरोजगारी की भावना का क्षरण होगा। उक्त शिक्षा ग्रीष्मावकाश में विशेष शिविरों का आयोजन कर दी जा सकती है।

विद्यालय की भौतिक सुविधाऐं :–

बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने में भौतिक सुविधाएं महती भूमिका का निर्वहन करती है। आकर्षक विद्यालय परिवेश से विद्यार्थी (बच्चा) शिक्षार्जन की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा की कमी भी आकर्षक परिवेश से पूर्ण । भौतिक सुविधाओं में विद्यालय भवन, चारदीवारी, टॉयलेट सुविधा एवं पेयजल सुविधाएं प्रमुख कही जाती हैं। आकर्षक परिवेश बच्चों में मन एवं मस्तिष्क पर शिक्षार्जन की अमिट छाप छोड़ता है, इस वस्तु स्थिति से परिचित होकर ही विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति सर्वशिक्षा अभियान में प्रदत्त की गयी है। आकर्षक परिवेश हेतु विद्यालयों को भौतिक सुविधाएं मिले, ऐसी व्यवस्था योजना बनाते समय भी की गयी हैं।

भौतिक सुविधाओं की कमी एवं अभाव से वातावरण नीरस तथा बच्चों में कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है अतः शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भौतिक सुविधाएं नींव की ईंट का कार्य करती है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ....
Date ....

विद्यालय रख–रखाव :–

विद्यालय की सुन्दरता बच्चों के आकर्षण का केन्द्र है। विद्यालय के सौन्दर्य को प्रभावी बनाये रखने हेतु उसका रख रखाव प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है। उचित एवं सौन्दर्यवर्धक रख रखाव के अभाव में विद्यालय में संख्यात्मक दृष्टि से छात्रों की कमी होना स्वाभाविक है। इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को रख रखाव हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता एवं भावना व्यक्त की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रति विद्यालय 5000 रूपये प्रतिवर्ष विद्यालय रख रखाव हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के माध्यम से शाला सौन्दर्यीकरण एवं रखा रखाव पर होगा।

कम्प्यूटर शिक्षा :–

संचार के नव विकसित साधनों एवं भौतिकता की दौड़ में बच्चों को दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट है। सर्वशिक्षा अभियान में संचार साधनों के बढ़ते प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों, जन नायकों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों एवं शासकों का झुकाव इस ओर प्रमुखता से बढ़ा है और इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं स्थिति के विश्लेषणोपरान्त उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को जोड़ा गया है। इस शिक्षा से जुड़ने के उपरान्त बच्चे स्वावलम्बी बनने के साथ–साथ इन्टरनेट से ग्राम स्तर पर ही विभिन्न सूचनाएं एवं विकास योजनायें जानने में सक्षम एवं समर्थ हो सकेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ने कम्पयूटर शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। हमारी वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को महत्व दिया है और अनिवार्य किया है, वहीं सर्वशि ा अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इस सबका उद्देश्य वर्तमान के साथ जुड़ाव एवं कदम मिलाना है।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 500/– प्रति बालक के अनुसार 3000 बालकों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जायेगा। इस कार्य हेतु 15 लाख रूपये निर्धारित किये गये हैं।

———————

अध्याय – 6

गुणवत्ता

शिक्षा के सार्वजनीकरण में गुणात्मक शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। विद्यालयी परिपेक्ष्य में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु विभिन्न सूचक तैयार किये गये हैं। इनका उपयोग विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने हेतु किया जा सकता है। विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु नामांकन वृद्धि, उत्तीर्णता प्रतिशत, पुनः अध्ययन दर, शाला त्याग करने वाले बच्चों की दर, शैक्षिक उपलब्धि स्तर, विद्यालयी वातावरण की गुणवता तथा कक्षा कक्ष शिक्षण की गुणवता प्रमुखता से उभर कर आयी है। उक्त गुणात्मक शिक्षा मापन की नवीन विधायें प्रभावी ढंग से लागू हों, इसके लिए शिक्षकों को भी आधुनिक नवाचारों एवं विधाओं की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है इसके अभाव में गुणवत्ता शिक्षा का मापन सम्भव नहीं है।

विद्यालय अनुदान राशि (एस.एफ.जी.) :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय रू. 2000/– की राशि का अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक एवं सहमति के उपरान्त किया जा सकेगा। संस्था प्रधान (सदस्य सचिव) अपने विद्यालय की आधारभूत आवश्यकताओं से विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को आमन्त्रित कर आहूत बैठक में अवगत करायेगा। संस्था की आवश्यकता एवं राशि के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय अनुदान राशि की उपयोगिता की सहमति प्रदान करेगी। इस राशि से विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए दरीपट्टी क्रय और पेयजल आपूर्ति बहाली हेतु पानी की टंकी आदि के खरीदे जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकेगा। इस प्रकार फुटकर एवं छोटी–मोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रति वर्ष मिलने वाली विद्यालय अनुदान राशि द्वारा की जावेगी।

शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु पॉच सौ रूपये प्रति अध्यापक को देय हैं। इस राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री कय करने में और तीन चौथाई का उपयोग विद्यालय में बच्चों के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कर किया जा सकेगा। यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय की जावेगी। इस राशि व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कय की जा सकेगी। यह सामग्री बच्चों को शिक्षण विधा को समझाने में मददगार होगी तथा बच्चों को विषयवस्तु रूचिकर एवं प्रभाव एवं स्थाई जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्वशिक्षा अभियान में प्रबलता से उभारा गया है जो बच्चों के लिए आनन्ददायी, रूचिकर एवं शिक्षाप्रद है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें :–

"सर्वशिक्षा अभियान" के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को पूर्व से ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही हैं। सर्वशिक्षा अभियान में सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का विचार दृढ़ता से उभरा है और इसे अमल में लाया जा रहा है। सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना जैण्डर संवेदनशीलता की सार्थक श्रेणी है, सर्वशिक्षा अभियान में बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी को दिये जाने की अभिशंसा की है। वास्तव में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि से अनगिनत गरीबों को सार्थक राहत मिलेगी जो आर्थिक बोझ वहन करने में असमर्थ हैं।

इस कार्य हेतु प्रति बालक 100 रूपये की पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान है।

पुस्तकालय अनुदान :–

अच्छी पुस्तकें ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है। अच्छी पुस्तकों से विद्यार्थियों में भौतिक भावनाओं को पिरोया जा सकता है तथा ज्ञानवर्धन किया जाता है। हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं विषमताओं और अनैतिक मूल्यों का कारण श्रेष्ठ एवं जीवन मूल्यदायी शिक्षा की कमी एवं सद्साहित्य का अभाव है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस भावना पर विचार कर उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाने का पुरजोर समर्थन किया गया है एवं प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 2000/– की राशि पुस्तकालय अनुदान हेतु रखी गयी है। इस राशि से जहॉ पुस्तकालयों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के अध्ययन से छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों में बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा जो भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी एवं लाभदायिक है। हमारे विद्यालयों के संस्था प्रधानों से अपेक्षा की गयी है कि वे जीवनोपयोगी पुस्तकें क्रय करेंगे एवं पुस्तकालयों को समृद्ध करेंगे। राशि का सही सदुपयोग करना संस्था प्रधानों का नैतिक दायित्व है।

अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन :–

सर्वशिक्षा अभियान में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा से तीन माह पूर्व विशिष्ट अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में मुख्य तीन विषयों के लिए अलग–अलग अध्यापकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा। तथा उन्हें इसके बदले मानदेय स्वरूप 3000/– रूपये की राशि प्रतिमाह 3 माह तक प्रदत्त की जायेगी। इस स्थिति में आर्थिक दृष्टि से गरीब व उन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में भरपूर सहायता मिल सकेगी, जो उच्च शिक्षा का सपना संजोये हुए हैं, परन्तु अपनी सोचनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा ग्रहण कर पाने में पूर्णतः असक्षम हैं, सर्वशिक्षा अभियान के

अनतर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण की भावना में अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है, जो उपेक्षित वर्ग को उनकी भावनानुसार शिक्षा मुहैया कराने में मददगार है।

इस आयोजन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कक्षाओं का आयोजन अपेक्षित है। सर्वशिक्षा अभियान इस दशा में उत्तम प्रयास है। जिसमें संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की भावना द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्ति सम्भव है।

प्रशिक्षण :–

(अ) शिक्षक प्रशिक्षण :– शिक्षक को शैक्षिक जगत में हो रहे नवाचारों से अवगत कराने, उनकी क्षमता का विकास करने, गुणवतापूर्ण शिक्षण करने, शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, आनन्ददायी शिक्षण की विद्याओं से अवगत कराने एवं सके ज्ञान में परिमार्जन करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाना अति आवश्यक है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रेरण शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभिनवन प्रशिक्षण ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक एवं अति महत्वपूर्ण आयाम है। प्रेरण एवं अभिनवन दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षक को चिन्तनशील एवं सकारात्मक सोच वाला बनाने में सहयोग करते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इस 20 दिन के प्रशिक्षण में से प्रथम प्रशिक्षण आठ दिवस का विषयवस्तु आधारित होगा। द्वितीय प्रशिक्षण चार दिवस का सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला के रूप में होगा एवं शेष आठ दिवस का प्रशिक्षण शिक्षक मासिक बैठक के रूप में आयोजित किया जायेगा।

(ब) पैराटीचर्स का आधारभूत प्रशिक्षण :– जिले में नामांकन आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी। राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी एवं वैकल्पिक विद्यालयों को सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा। परिवर्तन के फलस्वरूप वहॉ एक नियमित शिक्षक एवं चार पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी। इन नवनियुक्त पैराटीचर्स को शिक्षण विधाओं की जानकारी देने, उनमें शैक्षिक कौशल विकसित करने, समसामयिक नवाचारों का ज्ञान कराने एवं सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रथम वर्ष में 41 दिवस, दूसरे वर्ष में तीस दिवस एवं तीसरे वर्ष में 10 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अध्याय – 7

विशिष्ट फोकस ग्रुप एवं नवाचार

राजसमन्द जिले में विशिष्ट फोकस ग्रुप के अंतर्गत ईट भट्टा, मजदूर, घुमन्तु परिवार, खनन मजदूर भूमिहीन मजदूर, गाड़िया लौहार, शहरी कच्ची बस्तियों, अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन जातियों के बच्चे आज भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं जिन्हें जोड़कर ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव है। विशिष्ट फोकस ग्रुप के बच्चों को जोड़ने हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनायी जाकर इन्हें शिक्षा से जोड़ने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। इनके लिए "शिक्षा आपके द्वार" अभियान के द्वारा सहज शिक्षा एवं शिक्षा मित्र केन्द खोलकर लोक जुम्बिश के द्वारा वैकल्पिक की जा रही हैं जिससे कि यह वर्ग पूर्णतः लाभान्वित हो सके और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें। शिक्षा आपके द्वार के तहत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलते समय इस समूह की बस्तियों को **विशेष** प्राथमिकता देकर चयन किया गया है। शहरी घुमन्तु परिवार के बालकों हेतु "चल विद्यालय" की क्रियान्विती प्रस्तावित है।

जैण्डर संवेदनशीलता – जैण्डर संवेदनशीलता समाज की महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच, महिला व पुरूषों की समानता, लिंगानुपात, महिला व पुरूषां में उज्जवल जीवनशैली जीने की भावना, महिला व पुरूषों में कार्य विभाजन, उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में, लिंग भेद के बारे में, समाज में महिला एवं पुरूषों के बेहतर रिश्तों के बारे में एवं बालक एवं बालिकाओं के बारे में बात करता है। जैण्डर संवेदनशीलता के बारे में हम मानचित्र त्यार होने पर जिज्ञासा होने पर, अवसर प्राप्त होने पर, अनुकूल परिस्थितियों तथा ग्राह्य मार्गदर्शन मिलने पर ही सीख पाते हैं। सर्वशिक्षा अभियान में इन परिस्थितियों को विशेष रूप से उभारा गया है।

आवासीय शिक्षण शिविर :– सर्वे में चिन्हित 9 से 14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाऐं जो कभी विद्यालय जा नही पाये हैं अथवा कक्षा 1 से 3 के मध्य ही अध्ययन करते हुए विद्यालय छोड़ चुके हैं, को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम आवासीय शिक्षण शिविर हैं।

आवासीय शिक्षण शिविर के माध्यम से 7 माह की अवधि के लिए बालक–बालिकाओं को आवासीय या गैर आवासीय परिस्थितियों में निर्धारित शिविरों में रखकर अधिगम मंजूषा को पूर्ण करवाया जाता है। चूंकि आवासीय शिक्षण शिविर में अध्ययनन करने वाले बालक–बालिकाऐं उम्र में बड़े होते हैं, अतः इनके सीखने की गति भी पर्याप्त रहती है जो कम अवधि में शिक्षण–अधिगम के निर्धारित मानदण्ड को पूरा कर लेते हैं।

प्रशिक्षित पैराटीचर इन्हें हर सम्भव सम्बलन देते हैं तथा उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध करवाकर तीव्र प्रगति में बढ़ने को प्रेरित करते है। प्रति सात माह में मूल्यांकन कर प्रगति की जानकारी हासिल करते हैं।

आवासीय शिविर में सर्वे के अतिरिक्त भी शेष बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया जा सकता है एवं निश्चित परिणाम प्राप्त होने पर उचित स्तर की औपचारिक परीक्षा दिलवाई जाकर नये सत्र से उन्हें नियमित विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाता है। सत्र 2003–04 से प्रति वर्ष 7 आवासीय शिक्षण शिविर सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित किये जायेगे।

आवासीय शिक्षण शिविर से निम्न लाभ हैं :–

- बड़े उम्र के बालकों/बालिकाओं को बड़ी कक्षा में प्रवेश लेने का अवसर प्राप्त होता है।
- सुविधानुसार समय पर पढ़ने का अवसर मिलता है।
- सैद्धान्तिक शिक्षा के बजाय व्यावहारिक शिक्षा का विस्तृत अनुभव प्राप्त होता है।
- बड़ी उम्र के बालक/बालिका प्रतियोगिता से शीघ्र सीखते हैं।
- विशेषकर बालिका को चार दिवारी परिवेश से निकल कर व्यक्तित्व निर्माण का अवसर मिलता है।

डिसएबल्ड बालक/बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डिसएबल्ड (विकलांग) बालक/बालिकाओं के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना स्वीकार की गयी है –

- ✓ सर्वे कराना।
- ✓ डिसबएल्ड बच्चों की पहिचान करना।
- ✓ बच्चों के असेसमेंट करना।
- ✓ सहायता एवं उपकरण।
- रचनात्मक विभेद दूर करना।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर डिसएबल्ड बच्चों की पहिचान की जाकर उनके औपचारिक शिक्षा से जोड़ना ही अभियान का दृष्टिकोण है। इस अभियान में रचनात्मक भेद को दूर करने एवं उन्हें एड एण्ड एप्लाइन्सेज, उपलब्ध कराना सम्मिलित है। इस ग्रुप को भी विशिष्ट फोकस ग्रुप में रखा गया है। उनकी परिस्थितियों के मद्देनजर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इनके लिए सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा की व्यवस्था दी गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति डिसएबल्ड बालकों को 1200/– रूपये देय होंगे। राजसमन्द जिले में कुल 6–11 आयु वर्ग के 74 बालक/बालिकाऐं इससे प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ये वर्ग शिक्षा से वंचित है और सार्वजनीकरण के उत्थान प्रयास बाबत विशेष प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन

जातियों के लिए ई.सी.ई. केन्द्र खोलते समय भी प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है। राजसमन्द जिले में इन जातियों के बच्चों को विशिष्ट सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है।

घुमन्तु परिवार वाले बालकों के लिए शिक्षा –

राजसमन्द जिले में घुमन्तु परिवार बंजारा, कालबेलिया, कंजर एवं गाड़िया लौहार हैं। इन जातियों के बच्चे शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था से आज भी परे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसी जातियों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए आवासीय शिक्षण शिविर सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। घुमन्तु परिवार रोजगार की तलाश में निश्चित अवधि तक बाहर चले जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। इसलिए इन जातियों के बच्चों को आवासीय शिक्षण शिविर में प्रवेश दिलवाकर शिक्षित कर सकते हैं। ध्यान रहे इन जातियों के बच्चे हार्ड ग्रुप से सम्बन्धित है इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इनके निवास अवधि में इनसे नियमित सम्पर्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। ये जातियां विश्वास उत्पन्न होने पर ही अपने बच्चों को आवासीय शिक्षण शिविर में प्रवेश दिलाकर सार्वजनीकरण के लक्ष्य की उपलब्धि में सहायक हो सकती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत घुमन्तु बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु 3000/– रूपये प्रति बालक/बालिका दिये जाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु इसमें अधिकतम एक शिविर में 100 बालक/बालिकाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जायेगा।

कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा –

राजसमन्द जिले में आमेट, देगवढ़, नाथद्वारा एवं राजसमन्द शहरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कामकाजी बच्चे शिक्षा से वंचित है। इसी प्रक ग्रामीण क्षेत्रों में भी 11–14 आयुवर्ग के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से परे हैं। इन बच्चों को प्राथमिक शिक्ष. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी जानी है। इस हेतु गैर आवासीय शिक्षण शिविर एवं शिक्षा मित्र व सहज शिक्षा केन्द्र सार्थक कदम हैं। कामकाजी बच्चे अपनी सुविधानुसार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

कामकाजी बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु सर्वशिक्षा अभियान में 845/– रूपये प्रति बालक/बालिका प्रतिवर्ष शिक्षण पर खर्च किया जाने का प्रावधान है।

✣ ✣ ✣

अध्याय – 8

अनुसंधान, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग

शिक्षा जगत में 'क्वालिटी एज्युकेशन' के लिए निरन्तर नवीन नवाचारों का अनुसंधान किया जा रहा हैं । इन अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त विषय वस्तु के मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यकता होती हैं । इसी कड़ी में शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' में 'क्वालिटी एज्युकेशन' पर बल दिया गया हैं । पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक विकास, अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा–कक्षा प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन एवं मोनिटरिंग विशेष रूप से आवश्यक हैं । इस प्रयास में कम्यूनिटी का कार्य महत्वपूर्ण होता हैं । बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रक्रिया से सम्बन्धित दूसरी विशेषताओं में सामाजिक नेतृत्व एवं समूहों की भी मॉनिटरिंग में विशेष आवश्यकता हैं । वी.ई.सी., पी.ई.सी., एस.ई.सी., एम.टी.ए. एवं एम.एस.सी. आदि को मासिक मीटिंग/पाक्षिक बैठक का आयोजन कर सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की सीख उपलब्धि (लर्निंग अचीवमेन्ट) एवं प्रगति की जानकारी हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर तीन वर्ष में 'सामयिक पर्यवेक्षण' का प्रबन्ध किया गया हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर 'रिसर्च ग्रुप्स' का गठन किया जावेंगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर गठित सन्दर्भ समूह एस.सी.ई.आर.टी. डाईट, बी.आर.बी. एवं सी.आर.सी. का पी.एम. आई. की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेंगा ।

गुणवत्ता से सम्बन्धित इन्टरवेन्सस की नीति, आयोजना, क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेंगा। इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्क्रम विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं कक्षा–कक्ष से समबंन्धित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्ग–दर्शन करना हैं ।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया हैं । जिनके माध्यम से ही गुणात्मक शिक्षा में सुधार एवं क्रमान्तर्गत अधिगम की वास्तविक स्थिति मापी जा सकती हैं ।

प्रबोधन (M.I.S)

8.1 भूमिका –

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रबन्धन हेतु एक मजबूत और उत्तरदायी प्रबोधन तंत्र का होना आवश्यक हैं । प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य हैं । जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता हैं । इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन हेतु 3 मुख्य कार्यक्रमों को सम्पादित किया जायेंगा ।

01. शैक्षिक प्रबोधन सूचना तन्त्र (EMIS)
02. योजना प्रबोधन सूचना तन्त्र (PMIS)
03. वित्त प्रबोधन सूचना तन्त्र (FMIS)

8.2 प्रबोधन के उद्देश्य :–

- प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञान करना एवं उनका समय पर विश्लेषण करना ।
- नामांकन एवं ठहराव की स्थिति
- विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के परिलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनों पर विशेष ध्यान रखना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना ।

8.3 शैक्षिक प्रबोधन सूचना तन्त्र (EMIS)

जिला स्तर पर ई.एम.आई.एस. के तहत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना द्वारा निर्धारित DISE 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेंगी । गांव की सूचनायें हर 3 वर्ष बाद एवं विद्यालय की सूचनायें प्रत्येक वर्ष एकत्रित की जायेंगी । ये सूचनायें सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस.एम.सी. के अध्यक्ष, सी.आर.सी.एफ. एवं बी.आर.सी.एफ. द्वारा प्रमाणित की जायेंगी । ई.एम.आई.एस. (EMIS) योजना के अन्तर्गत मुख्य बिन्दू निम्न हैं ।

- 6–14 आयु वर्ग के नामवार नामांकित करना ।
- अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना ।
- अध्यापकों को जानकारी देना ।
- छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेष कार्यो एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना।

- नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी होना ।
- विद्यालय छात्र अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना ।
- विभिन्न हैडस में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आंकड़ों का विश्लेषण करना।
- समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना जिससें की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें ।

8.4. योजना प्रबोधन सूचना तन्त्र (PMIS)

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा हैं। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र (PMIS) के द्वारा समस्त सूचनाऐं समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी । योजना प्रबन्धन सूचना तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेंगी ।

सर्व शिक्षा अभियान में (PMIS) के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके क्रियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी । इस हेतु (PMIS) के द्वारा समस्त सूचनाऐं एक साथ प्राप्त की जा सकेंगी ।

8.5 वित्त प्रबोधन सूचना तन्त्र (FMIS)

सर्व शिक्षा अभियान के तहत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दा हैं । इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (FMIS) के द्वारा जिला स्तर पर वित्त सम्बन्धी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं । लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर बनवाया गया हैं । जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तियां, बजट एस्टिमेशन, बजट एलोटमेन्ट इत्यादि कार्य प्रभावी ढ़ंग से सम्पादित किये जा सकते हैं ।

वित्त प्रबन्धन हेतु विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे – केश बुक, लैजर, कोष प्रवाह, चैक इश्यु ड्राफ्ट इश्यु बैंक बैलेंस, केश बैलेंस आदि समस्त जानकारियां एक साथ एक ही जगह प्राप्त कर जा सकती हैं । अतः वित्त प्रबन्धन सूचना तन्त्र (FMIS) हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ़ सूचना तन्त्र हैं ।

8.6 प्रबोधन कार्मिक (M.I.S. Staff)

प्रभारी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर लोक जुम्बिश में कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालन हेतु आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे ।

8.7 प्रबोधन संसाधन

1. सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु जिला स्तर पर दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता हैं एवं ब्लॉक स्तर पर एक--एक कम्प्यूटर सिस्टम की ओर आवश्यकता हैं ।

2. प्रबोधन एवं मूल्यांकन मॉनिटरिंग हेतु जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सात) एवं सर्व शिक्षा के अधिकारियों के पास वाहन की उपलब्धतता अति आवश्यक हैं। इस हेतु यदि वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं। तो शैक्षिक गुणवता में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इस हेतु संविदा पर या विभागीय वाहन प्रस्तावित हैं।

8.8 **<u>शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.)</u>** :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु 500/– रूपयें प्रति अध्यापक देय हैं । इस प्रकार राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री क्रय करने में तीन चौथाई राशि का उपयोग विद्यालय में बच्चों के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर किया जा सकेंगा । यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय की जावेंगी । इस व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कम की जाकेंगी । यह सामग्री बच्चों को शिक्षण विद्या को समझाने में मददगार होगा तथा बच्चों को विषयवस्तु की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी । यह जानकारी रूचिकर एवं प्रभावी होगी । इसका स्थायित्व अमिट होगा । अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्व शिक्षा अभियान में प्रबलता से उभारा गया हैं, जो बच्चों के लिए आनन्ददायी रूचिकर एवं शिक्षाप्रद हैं ।

8.9 **<u>जिला स्तर</u>** :– जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न परियोजनाओं यथा डी. पी. ई. पी. एवं लोक जुम्बिश परिषद् की जिला स्तरीय समितियां, शासी परिषद् एवं निष्पादक समितियां उतरदायी होगी। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे। डी. पी. ई. पी. एवं लोक जुम्बिश परिषद् के समस्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। डीपीईपी एवं लोक जुम्बिश परिषद् के समस्त जिला परियोजना समन्वयक परियोजना का कार्य भी यथावत करते रहेंगे। जैसा कि उपरोक्त बैठकों में निर्णय लिया गया।

8.10 **<u>खण्ड स्तर</u>** :– सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उतरदायी होंगे। खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा लोक जुम्बिश के परियोजना अधिकारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित अधिकारी प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गुणवत्ता के कार्य करेंगे। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों सम्बन्धी कार्य करेंगे।

8.11 **<u>संकुल स्तर</u>** :–संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी ब्लॉक परियोजना अधिकारी के साथ–साथ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन भी कार्य करेंगे। संकुल प्रभारी अपनी रिपोर्ट खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

* * *

अध्याय – 9

प्रबन्धन एवं क्षमता विकास

9.1 भूमिका :– सर्व शिक्षा अभियान के सार्वजनीकरण की दिशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धातों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने जाने का प्रावधान हैं । आज की परिस्थितियों में भी दूरदराज के कठिन क्षेत्रों में कार्य को गति प्रदान करने एवं शिक्षा के लक्ष्य की शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ प्रबन्धन एवं प्रबोधन अत्यावश्यक हैं । इसके अभाव में शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य असम्भव एवं दुरूह होने के साथ–साथ स्वप्निल बनकर रह जायेंगा । ऐसी स्थिति से दृढ़ता एवं मजबूरी से निपटने के लिए जिला स्तर पर प्रबन्धन एवं प्रबोधन की महत्ती आवश्यकता हैं ।

9.2 जिला स्तर पर प्रबन्धन :– जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्विति हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती हैं ।

जिला परियोजना समन्वयक

सहा. जिला परियोजना समन्वयक
(औपचारिक शिक्षा)

सहा. जिला परियोजना समन्वयक
(वैकल्पिक शेक्षा)

सहा. जिला परियोजना समन्वयक
(ECCE, IED)

सहा. जिला परियोजना समन्वयक
(भवन विकास)

सहा. जिला परियोजना समन्वयक
(M.I.S.)

प्रबन्धन

कार्यालय सहायक

सहायक लेखाधिकारी

कनिष्ठ लेखाकार

केशियर कम भण्ड़ार प्रभारी

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

चतुथ श्रेणी कर्मचारी

चौकीदार

9.3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी (प्रा.शि.) से समन्वय :–

जिलें में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबन्धन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के निहित हैं । इनके अधिन जिला मुख्यालय पर अवर जिला उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य स्टाफ कार्यरत हैं ।

जिला परियोजना कार्यालय में जिला परियोजना समन्वयक व अन्य स्टाफ कार्यरत हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.) का कार्यालय स्थित हैं। संकुल स्तर पर संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का पद सृजित हैं । शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मॉनेटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) में निहित हैं। वहीं उसे मजबूती प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण एवं आनन्ददायी शिक्षा जिला परियोजना समन्वयक का गुरूत्ता दायित्व हैं ।

विभिन्न स्तरों पर समन्वय

सर्वशिक्षा अभियान

जिला परियोजना समन्वयक एवं ब्लॉक स्तर के स्टॉफ

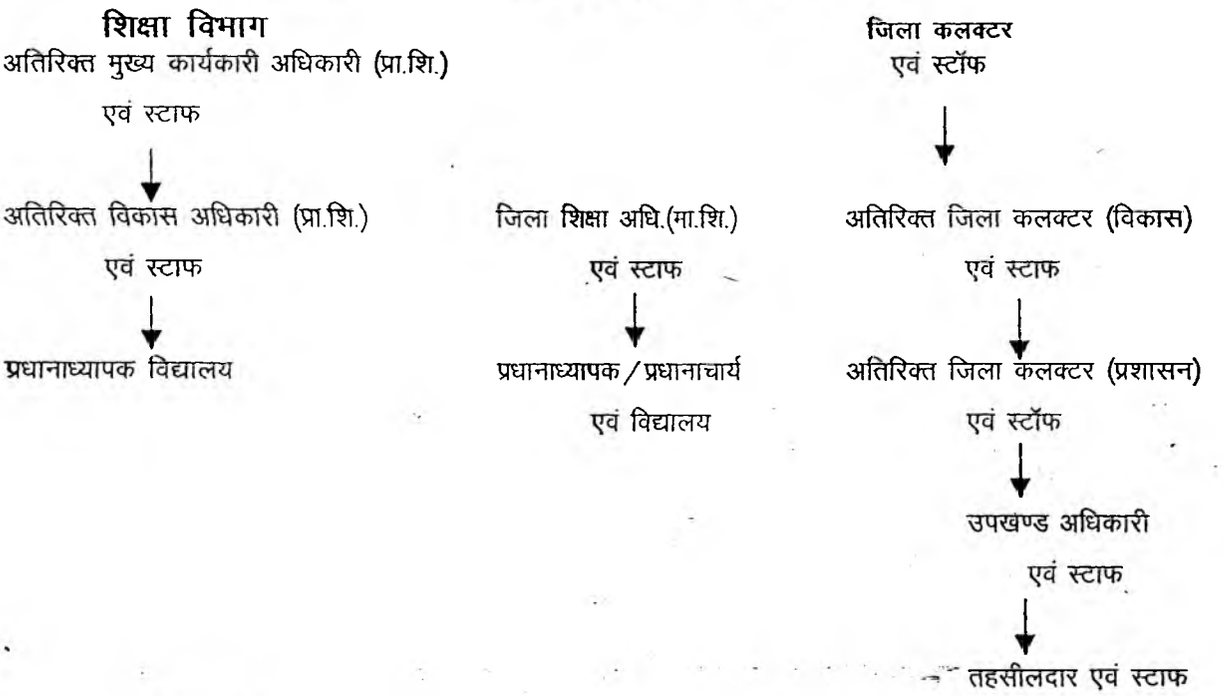

➢ उक्त वर्णित तालिका प्रदर्शित करती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोग से ही शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को शत–प्रतिशत हासिल किया जा सकता हैं । तीनों ही कार्यालय में आपसी तालमेल होना नितांत आवश्यक एवं समय की मांग हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता बिना भय के कार्य करने की स्थिति नहीं हैं। अतः जिला कलेक्टर कार्यालय का समन्वयक भी नितान्त आवश्यक समझा जाता है। इसलिए सर्वशिक्षा अभियान को सुचारू गति देने के लिए जिला कलक्टर का समन्वय आवश्यक है। उसी प्रकार की स्थिति उक्त कार्यालयों में शिक्षा के लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में होनी चाहियें।

➢ उक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान दोंनो का एक ही लक्ष्य विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों को आनन्ददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गो को जोड़ना हैं ।

विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता हैं और भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों सहित नवाचारों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त की जायेंगी ।

अतः विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षा के सार्वजनिकरण, आकड़ों के सही एवं वैद्य एकत्रीकरण हेतु दोनों का समन्वय आवश्यक हैं । सर्व शिक्षा अभियान दोनों के बेहतर तालमेल का पक्षधर हैं जिससे लक्ष्य हासिल किया जाकर समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकें।

9.4 जिला शासी परिषद् (डी.जी.सी) :–

जिलें में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद् जिला परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित विभिन्न मामलों की प्रोग्रेस एवं नीतिगत मामलों की देखभाल करेंगी । इसकी बैठक विभागों के सदस्य, शिक्षाविद्, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित शिक्षक संघ प्रतिनिधि होंगे । जिला परियोजना समन्वयक शासी परिषद् का सदस्य सचिव होगा। शासी परिषद् का गठन निम्नानुसार किया जायेंगा ।

जिला शासी परिषद् के सदस्य :–

❖ जिला प्रमुख	अध्यक्ष
❖ सांसद	सदस्य
❖ विधायक (समस्त विधान सभा क्षेत्र)	सदस्य
❖ जिला कलक्टर	उपाध्यक्ष
❖ प्रधान (समस्त पंचायत समिति)	सदस्य
❖ अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास)	सदस्य
❖ अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य
❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
❖ प्राचार्य (डाईट)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖ सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖ अधिशासी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖ अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
❖ समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖ जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य

❖	परियोजना अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
❖	विकास अधिकारी (समस्त पंचायत समिति)	सदस्य
❖	अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	परियोजना अधिकारी	सदस्य
❖	संकुल प्रभारी	सदस्य
❖	शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
❖	गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
❖	शिक्षक संघ प्रतिनिधि	सदस्य
❖	यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
❖	सहायक परियोजना अधिकारी (औ.शि.)	सदस्य
❖	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.5 जिला निष्पादन समिति :–

जिला निष्पादन समिति में विभिन्न विभागों के सदस्य होंगे तथा समिति का नेतृत्व जिला कलक्टर का होगा । इसकी बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति जिला योजना के क्रियान्वयन की मॉनेटरिंग करेंगी । यह समिति जिला परियोजना कार्यालय को नये संकुल भवनों, संदर्भ केन्द्रों और ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों के लिए उपर्युक्त स्थान उपलब्ध करायेंगी ।

जिला निष्पादन समिति के सदस्य :–

❖	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
❖	अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास)	सदस्य
❖	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद्)	सदस्य
❖	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
❖	प्राचार्य (डाईट)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖	अधिशासी अभियन्ता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖	अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
❖	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖	जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
❖	परियोजना अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य

❖	दो शिक्षाविद् (दो नामित)	सदस्य
❖	सहायता प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
❖	अध्यापक संगठन प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
❖	विकास अधिकारी (समस्त पंचायत समिति)	सदस्य
अ	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.6 जिला संदर्भ समूह :–

जिला संदर्भ समूह, सर्व शिक्षा अभियान को रचनात्मक एवं सहायता उपलब्ध करायेंगा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगा ।

- जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य यथा – ब्रूसर्स, फोल्डर्स तथा पोस्टर्स का आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना एवं सुझाव देना ।
- विभिन्न कम्पोनेन्ट के अनुसार नवाचार कार्यक्रम (इन्नोवेटिव प्रोग्राम्स) सुझाना ।
- गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों तथा सर्व शिक्षा अभियान के मध्य बेहतर तालमेल बनाना।
- अनुवर्तन कार्यक्रम (फोलोअप प्रोग्राम) अमल में लाना ।

जिला संदर्भ समूह के सदस्य :–

❖	प्राचार्य (डाईट)	संयोजक
❖	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
❖	सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य
❖	गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
❖	समाचार संवाददाता (दो)	सदस्य
❖	शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
❖	महिला प्रतिनिधि (शिक्षा विभाग)	सदस्य
❖	पेड़ागांजी/ट्रैनिंग/ए.एस./जेण्डर एण्ड ई.सी.ई. (दो प्रतिनिधि)	सदस्य
❖	सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारी	सदस्य सचिव

9.7 खण्ड संदर्भ केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजसमन्द जिलें में सात ब्लॉकों पर खण्ड संदर्भ केन्द्र कार्यालय होगा जो कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, शैक्षिक योजना एवं सहयोग, निरीक्षण तथा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगा । प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर दो संदर्भ व्यक्ति, एक सहायक अभियन्ता, एक स्टेनो कम कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक कनिष्ठ लिपिक और एक सहायक कर्मचारी होगा । खण्ड संदर्भ केन्द्र सभी प्रशिक्षण देने वालों तथा प्रशिक्षण लेने वालों को भोजन व आवासीय सुविधा उपलब्ध करायेंगा ।

खण्ड संदर्भ समूह के कार्य :–

- ❖ विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
- ❖ संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ❖ टी.एल.एम. का निर्माण करवाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ❖ ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति के साथ बैठकें आयोजित करना ।
- ❖ वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षा सहयोगी/पैरा टिचर्स तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ❖ मूल्यांकन एवं प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखना ।
- ❖ विकलांगा बच्चों की पहचान एवं शिक्षण व्यवस्था करना ।
- ❖ मासिक मीटिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को सपोर्ट और सुविधा उपलब्ध करवाना ।
- ❖ शैक्षिक प्रबन्ध सूचना तन्त्र को मजबूती प्रदान करना ।

9.8 ब्लॉक शिक्षा समिति :–

ब्लॉक शिक्षा समिति ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एवं ब्लॉक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगी एवं ब्लॉक के दूरदराज स्थानों पर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में योगदान प्रदान करेंगी । इस समिति के सदस्यगण निम्न होंगे ।

ब्लॉक शिक्षा समिति (बी.ई.सी.)

❖ प्रधान (समस्त पंचायत समिति)	अध्यक्ष
❖ सरपंच (पुरूष)	सदस्य
❖ सरपंच (दो महिला)	सदस्य
❖ जिला परिषद् सदस्य (एक पुरूष एवं एक महिला)	सदस्य
❖ पंचायत समिति सदस्य (एक पुरूष एवं एक महिला)	सदस्य
❖ शिक्षाविद्	सदस्य
❖ अल्प संख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
❖ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
❖ बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
❖ चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
❖ प्रचेता	सदस्य
❖ शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य

अ	अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
❖	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बांसवाड़ा जिलें में 43 संकुल संदर्भ केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इन संकुल केन्द्रों पर शैक्षिक मजबूती प्रदान करने हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का पद सृजित किया गया हैं । इन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक मीटिंग, विद्यालय प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण, भवन निर्माण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं ।

संकुल संदर्भ समूह के कार्य :–

- ❖ विद्यालय प्रबन्धन समिति
- ❖ मासिक बैठकों में औपचारिक स्कूलों को सपोर्ट और सुविधा पर विचार एवं मनन करना।
- ❖ विभिन्न ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी ।
- ❖ पंचायतीराज संस्थाओं, भवन निर्माण समिति एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को मजबूती प्रदान करना ।
- ❖ विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के लिए सूक्ष्म नियोजन एवं शला मान–चित्रण का प्रशिक्षण आयोजित करना ।

9.10 संकुल संदर्भ समूह :–

शैक्षणिक व्यवस्था के उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूती एवं प्रदान करने के हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र पर संकुल संदर्भ समूह का गठन किया गया हैं। जिसमें संकुल परिधि के विभिन्न विषयों यथा – विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण आदि के विशेषज्ञ चयनित किये गये हैं । यह समूह मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रेरण का कार्य करेंगा। संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी संकुल संदर्भ समूह के सुझावों पर अमल कर क्रियान्विति करेंगा ।

9.11 विद्यालय प्रबन्ध समिति :–

विद्यालय प्रबन्ध समिति गांव के विद्यालयों में निर्माण कार्यो की देखभाल एवं विद्यालय के निरीक्षण मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगी । प्रत्येक एस.एम.सी. को विद्यालय के कोष सुधार हेतु 2000/– रूपयें प्रतिवर्ष देय होंगे । इस समिति को त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेंगा। यह समिति जिलें से बाहर तीन दिवस का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं ।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य :–

- ❖ विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से भवन निर्माण समिति का गठन करना ।
- ❖ अधिकत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना ।

- ❖ वैकल्पिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की देखरेख करना ।
- ❖ बाल मेला, कला–जत्था तथा महिला समूहों की बैठक का आयोजन करना ।
- ❖ विद्यालय का प्रभावी निरीक्षण एवं समय पालन सुनिश्चित करना ।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य :–

❖ सरपंच / वार्ड़ पंच	अध्यक्ष
❖ अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अल्पसंख्यक / ओ.बी.सी.	सदस्य
❖ महिला एक्टीविस्ट	सदस्य
❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता	सदस्य
❖ सेवानिवृत्त शिक्षक / कार्मिक	सदस्य
❖ यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अभिभावक (पुरूष)	सदस्य
❖ अभिभावक (महिला)	सदस्य
❖ अध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय)	सदस्य सचिव

9.12 भवन निर्माण समिति (बी.एन.एस.) :–

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से पांच सदस्य भवन निर्माण समिति में सम्मिलित किये गये हैं । जो निर्माण सम्बन्धी कार्यो की देखभाल करेंगे । इस समिति को संकुल स्तर पर तीन दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेंगा तथा इसके सम्भागियों की संख्या 5 होंगी।

भवन निर्माण समिति के सदस्य :–

❖ सरपंच / वार्ड़ पंच	अध्यक्ष
❖ सक्रिय सदस्य	सदस्य
❖ सक्रिय सदस्य	सदस्य
❖ सक्रिय सदस्य	सदस्य
❖ प्रधानाध्यापक / संस्था प्रधान	सदस्य सचिव

9.13 कोष प्रवाह :–

किसी भी कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में कोष की भूमिका अहम् हैं। बिना कोष योजना की सफलता संदिग्ध ही नहीं अपितु असम्भव एवं स्वप्निल भी हैं ।

जिला स्तर पर कोष प्रवाह निम्नानुसार होगा –

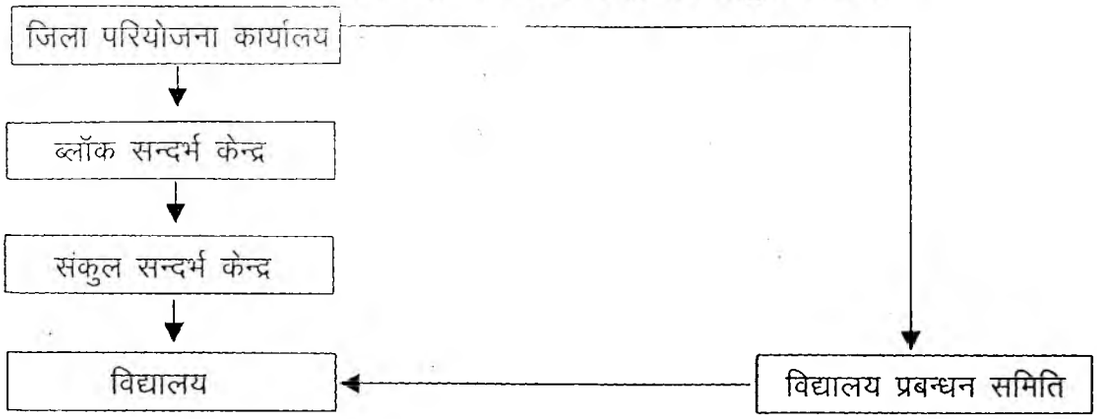

जिला स्तर पर कोष जहां एक तरफ ब्लॉक स्तर, तथा विद्यालय स्तर पर पहूंचे, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय प्रबन्धन समिति को सीधे देय होगा । विद्यालय प्रबन्धन समिति उक्त राशि का सदुपयोग विद्यालय में अपने स्तर पर खर्च करने में सक्षम होंगी । कोष व्यय पर जिला परियोजना कार्यालय का पूर्ण नियन्त्रण होंगा ।

❖❖❖❖❖❖

अध्याय – 10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका :– विद्यालय स्तर पर रूचिकर व आनन्ददायी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण एवं परिवेश इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो की लर्नर स्वतः ही विद्यालय की ओर आकर्षित हो, तभी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सार्वजनिनकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता हैं । इसी अवधाराणा को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं यथा विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्षा, शौचालय/मूत्रालय/पेयजल सुविधा/चारदीवारी एं फिसलन पट्टी को प्राथमिकता दी गई हैं ।

10.2 नये विद्यालय भवन :– राजसमन्द जिले में विद्यालय भवनों की स्थिति के बारे में शैक्षिक परिदृश्य की सारणी में स्थिति साफ है।

1. प्राथमिक विद्यालय के **भवन :–** कुल विद्यालयों की संख्या 715 हैं उसमें से 700 विद्यालय भवन सहित है तथा 15 विद्यालय भवन रहित है जिनका निर्माण अपेक्षित हैं। इस हेतु 3 कक्षा कक्ष मय बरामदा बनाने हेतु 368 लाख रूपए कि लागत से बनाना प्रस्तावित है। इस हेतु भवन निर्माण समिति इस कार्य के लिए उत्तरदायी होगीं ।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय :– जिले में कुल 306 विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के संचालित है उसमें से 300 विद्यालयों के भवन मौजूद है एवं मात्र 6 विद्यालय भवन रहित है। इ- े भवन बनाना उपरोक्तानुसार प्रस्तावित हैं।
3. राजीव गांधी पाठशाला :– जिले में 691 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं संचालित है। उसमें से 603 भवन सहित है एवं 88 विद्यालय भवन रहित है। यह भी उपरोक्तानुसार मानदण्ड के अनुसार प्रस्तावित हैं।

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष :– शैक्षिक परिदृश्य में दी गई सारिणी के अनुसार जिले में विभिन्न विद्यालयों में कक्षा कक्ष की स्थिति निम्नानुसार हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी पाठशालाएं सर्व शिक्षा अभियान में 2003 से लेकर 2010 तक जैसे–जैसे क्रमोन्नत होती जाएगी वैसे–वैसे इनके लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण अपेक्षित होगा। जिसमें प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत होने पर 3 कक्षा कक्ष, एवं राजीव गांधी से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर 2 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस हेतु दी गई यूनिट कोस्ट के आधार पर प्रस्तावित हैं।

10.4 टॉयलेट सुविधा :– जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी पाठशालाओं में टॉयलेट की सुविधा निम्नानुसार आवश्यक है कुल प्राथमिक विद्यालय 698 है, जिनमें शौचालय

सुविधा 454 में आवश्यक हैं। 247 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा आवश्यक है। इसी प्रकार राजीव गांधी पाठशालाओं के 401 विद्यालयों में शौचालयों की आवश्यकता है एवं अन्य प्रकार के 33 विद्यालयों में भी इसकी आवश्यकता हैं।

10.5 पानी की सुविधा :– कुल 402 प्राथमिक विद्यालय, 235 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 335 राजीव गांधी पाठशाला, 39 अन्य विद्यालयों में पानी की सुविधा मुहैया कराना प्रस्तावित है। इसमें हैण्डपम्प खुदवाना प्रस्तावित है।

10.6 बी.आर.सी. निर्माण :– जिले में कुल 7 ब्लॉक् है तथा सातों विकास खण्डों में कुल 7 बी.आर. सी. का निर्माण कराना प्रस्तावित हैं। जिसकी यूनिट कोस्ट के अनुसार व्यय प्रस्तावित है।

10.7 सी.आर.सी. निर्माण :– जिले में वर्तमान स्थिति में 30 संकुल संचालित है। तथा शिक्षा आपके द्वार पश्चात् संकुलीकरण में वृद्धि होने के पश्चात् कुल 60 संकुल जिले में संचालित करना प्रस्तावित किया है अतः यूनिट कोस्ट के आधार पर 60 संकुलों को निर्मित करवाना प्रस्तावित है।

10.8 डायट भवन निर्माण :– राजस्थान में एक मात्र डायट संस्थान लोक जुम्बिश द्वारा संचालित हैं इस हेतु भवन निर्माण का कार्य मन्दिर मण्डल नाथद्वारा द्वारा आंशिक रूप से करवाया गया है फिर भी सर्व शिक्षा अभियान में इस डायट भवन के निर्माण हेतु, डायट के साथ छात्रावास एवं सम्पूर्ण भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान में इस प्रस्ताव को प्रेषित किया जाता है।

10.9 रैम्प निर्माण :– शिक्षा के क्षेत्र में शतप्रतिशत उपलब्धि तभी अर्जित होगी जब 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक/बालिकाऐं शिक्षा से जुड़े होगें । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकाल बालक/बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा के रूप में आवश्यकता होने पर रैम्प निर्माण करवाया जायेंगा । राजसमन्द जिलें के समस्त ब्लॉकों के कुछ विद्यालयों में रैम्प निर्माण की आवश्यकता हैं ।

उपरोक्त कार्य भवन निर्माण समिति के द्वारा किया जाएगा। जिसमें पूर्ण पारदर्शिता की संभावना रहेगी।

IMPLEMENTATION SCHEDULE

SD

S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-0
	Additional Teacher						
1.1	Honorarium of Additional Para Teacher						
	Ist Year	Number	0.18				
	IInd Year	Number	0.204				
	IIIrd Year	Number	0.228				
	IVth Year	Number	0.252				
	Education Gaurantee Scheme (EGS)						
2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	*	*	*	*
	Upgradation Primary School to Upper Primary School	-		*	*	*	*
3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	*	*	*	*
3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	*	*	*	*
	Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	*	*	*	*
3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	*	*	*	*
	Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	*	*	*	*
	Class Room						
4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	*	*	*	*
4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	*	*	*	*
	Free Text Book						
5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	*	*	*	*
	Civil Work						
6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	*	*	*	
6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	*	*	*	*
6.3	Toilets	Number	0.1	*	*	*	*
6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	*	*	*	*
6.5	PHED Connections	Number	0.2	*	*	*	*
6.6	Ramps	Number	0.2	*	*	*	*
6.7	Construction of BRC	Number	6	*	*		
6.8	Construction of CRC	Number	2	*	*		
6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	*	*	*	*
6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	*	*	*	*
6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	*	*	*	*
6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	*	*	*	*
	Maintinance & Repairs						
7.1	Primary School	Number	0.05	*	*	*	*
7.3	Upper Primary School	Number	0.05	*	*	*	*
	Upgradation of EGS/AS to Primary School			*	*	*	*
8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	*		*	*
8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	*		*	*
	Teacher Salary in next Year	Number	0.84			*	*
8.3	Honorarium of Para Teacher						
8.3.1	Ist Year	Number	0.135	*	*	*	*
8.3.2	IInd Year	Number	0.204		*	*	*
8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228			*	*
8.3.4	IVth Year	Number	0.252				*
	School Grant						
10.1	Primary School	Number	0.02	*	*	*	*
10.3	Upper Primary School	Number	0.02	*	*	*	*
	Teachers Grant						
11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	*	*	*	*
11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	*	*	*	*
	Teachers Training						
12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	*	*	*	*
12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	*	*	*	*
12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042				
12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	*	*	*	*
	Training for Community Leaders						
14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	*	*	*	*
	Provision for Disabled Children						
15.1	Disabled Children	Number	0.012	*	*	*	*
	Research, Evailuation, Supervision & Monitoring						
16.1	Primary School	Number	0.014	*	*	*	*
16.3	Upper Primary School	Number	0.014	*	*	*	*
	Management Cost						
17.1	***District Project Office***						
17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		*	*	*
17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	*	*	*	*
17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	*	*	*	*
17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		*	*	*
17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		*	*	*

S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04	2004-05	2005-06	2006-
17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		*	*	*
17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		*	*	*
17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	*	*	*	*
17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	*	*	*	*
17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	*	*	*	*
17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		*	*	*
17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	*	*	*	*
17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	*			
17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		*	*	*
17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	*			
17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	*	*	*	*
17.2	***Strengthening of DEEO Office***						
17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	*	*	*	*
17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	*			
17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	*	*	*	*
17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	*	*	*	*
17.3	***BRCF Office***						
17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		*	*	*
17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		*	*	*
17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		*	*	*
17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		*	*	*
17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		*	*	*
17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		*	*	*
17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		*	*	*
17.4	***Strengthening of BEEO Office***						
17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	*			
17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	*	*	*	*
17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	*	*	*	*
17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	*	*	*	*
17.5	***CRCF Office***						
17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		*	*	*
8	**Innovation**	Districts	50	*	*	*	*
9							
19.1	**Block Resource Center**						
19.1.1	Furniture	Lumpsum	1				
19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	*	*	*	*
19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	*	*	*	*
19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	*	*	*	*
19.2	**Cluster Re[illegible]rce Center**						
19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	*	*		
19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	*	*	*	*
19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	*	*	*	*
19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	*	*	*	*
	Interventions for Out of School Children						
20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	*	*	*	*
	Community Mobilisation						
21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	*	*		
21.2	Doveloping Awamess Material	Lumpsum	0.2	*	*	*	*
21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	*	*	*	*

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	29982	253.348	28882	244.0529	24576	207.6672	20054	169.456	103494	874.524
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			37		8		23		48			
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	37		8	4.000	23	11.500	48	24.000	116	39.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	37	33.300	8	7.200	23	20.700	48	43.200	116	104.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	27	32.400	64	76.800	72	86.400	95	114.000	258	309.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	37	23.310	8	5.040	23	14.490	48	30.240	116	73.080
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	54	45.360	155	130.200	208	174.720	262	220.080	679	570.360
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	52	62.400	100	120.000	200	240.000	300	360.000	652	782.400
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000	30	15.000	300	150.000	30	15.000	390	195.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	4500	4.500	4650	4.650	4800	4.800	5000	5.000	18950	18.950
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800	5	12.800	11	28.160		0.000	21	53.760
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	27	97.200	45	162.000	23	82.800	48	172.800	143	514.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	150	15.000	300	30.000	200	20.000	750	75.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000	100	50.000	100	50.000	200	100.000	450	225.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	30	6.000	30	6.000	30	6.000	33	6.600	123	24.600
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000	200	40.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	3	18.000	4	24.000		0.000		0.000	7	42.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	30	60.000	30	60.000		0.000		0.000	60	120.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	30	3.750	50	6.250	60	7.500	70	8.750	210	26.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000	40	10.000	60	15.000	80	20.000	200	50.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	100	25.000	150	37.500	200	50.000	500	125.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	678	33.900	711	35.550	773	38.650	893	44.650	3055	152.750
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	306	15.300	343	17.150	351	17.550	375	18.750	1375	68.750
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			70		70		144		70		354	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	70	7.000	70	7.000	144	14.400	70	7.000	354	35.400
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	70	44.100	140	88.200	284	178.920	354	223.020	848	534.240
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	70	58.800	210	176.400	494	414.960	774	650.160
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	70	9.450	70	9.450	144	19.440	70	9.450	354	47.790
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	70	14.280	70	14.280	144	29.376	284	57.936
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	70	15.960	70	15.960	140	31.920
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	70	17.640	70	17.640
10		**School Grant**												

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		[illegible]		[illegible]			
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	10.1	Primary School	Number	0.02	678	13.560	711	14.220	773	15.460	893	17.860	3055	61.100
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	306	6.120	343	6.860	351	7.020	375	7.500	1375	27.500
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2042	10.210	2252	11.260	2680	13.400	3104	15.520	10078	50.390
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2441	12.205	2521	12.605	2612	13.060	2739	13.695	10313	51.565
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS.(20 days)	Number	0.014	1972		2112	29.568	2396	33.544	2750	38.500	9230	101.612
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2441		2521	35.294	2612	36.568	2739	38.346	10313	110.208
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	373	15.666		0.000		0.000	373	15.666
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	70	1.470	140	2.940	284	5.964	354	7.434	848	17.808
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2448	1.469	2744	1.646	2808	1.685	3000	1.800	11000	6.600
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	819		819	9.828	819	9.828	819	9.828	3276	29.484
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	678	9.492	711	9.954	773	10.822	893	12.502	3055	42.770
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	306		343	4.802	351	4.914	375	5.250	1375	14.966
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.800	1	2.400	1	2.400	3	6.600
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080	4	6.120	4	8.160	4	8.160	14	26.520
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320	3	3.240	3	4.320	3	4.320	12	16.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.350	1	1.800	1	1.800	3	4.950
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.260	1	1.680	1	1.680	3	4.620
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.900	1	1.200	1	1.200	3	3.300
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		0.000	1	0.630	1	0.840	1	0.840	3	2.310
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600	1	0.450	1	0.600	1	0.600	4	2.250
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440	4	1.440	4	1.920	4	1.920	15	6.720
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612	3	0.689	3	0.918	3	0.918	11	3.137
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.230	1	0.306	1	0.306	3	0.842
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	7	13.720	7	13.720	7	13.720	21	41.160
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	21	30.240	21	30.240	21	30.240	63	90.720
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	7	10.080	7	10.080	7	10.080	21	30.240
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		0.000	7	7.560	7	7.560	7	7.560	21	22.680
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	7	4.200	7	4.200	7	4.200	21	12.600

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	7	3.360	7	3.360	7	3.360	21	10.080
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	7	2.142	7	2.142	7	2.142	21	6.426
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.950		0.000		0.000		0.000	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.840	7	0.840	7	0.840	7	0.840	28	3.360
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.700	7	0.700	7	0.700	7	0.700	28	2.800
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.880	7	5.880	7	5.880	7	5.880	28	23.520
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	60	54.000	60	72.000	60	72.000	180	198.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	7	0.875	7	0.875	7	0.875	7	0.875	28	3.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	7	0.420	7	0.420	7	0.420	7	0.420	28	1.680
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	7	0.350	7	0.350	7	0.350	7	0.350	28	1.400
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	30	3.000	30	3.000		0.000		0.000	60	6.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	30	0.750	60	1.500	60	1.500	60	1.500	210	5.250
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	30	0.720	60	1.440	60	1.440	60	1.440	210	5.040
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	30	0.300	60	0.600	60	0.600	60	0.600	210	2.100
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450	800	6.760	600	5.070	500	4.225	2900	24.505
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	306	3.060	343	3.430		0.000		0.000	649	6.490
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	206	4.120	206	4.120	206	4.120	206	4.120	824	16.480
		Grand Total				**1051.951**		**1658.331**		**2106.283**		**2618.503**		7435.068
		Total of Civil work				387.650		566.050		706.960		813.150		2473.810
		% of Civil works				36.85		34.13		33.56		31.05		33.27
		Total of Management				35.562		162.57		186.606		186.606		571.344
		% of Management				3.38		9.80		8.86		7.13		7.68

अध्याय – 13

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले भर की वार्षिक कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में निम्नानुसार भवन निर्माण, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियां, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य रखे गए प्रावधानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

13.1 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति –

वर्ष 2003–04 में जिले में कुल प्राथमिक विद्यालय 715, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 306 में से इस सत्र में प्राथमिक विद्यालय मात्र 37 ही नव क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। पूर्व वर्ष के 64 एवं इस सत्र के 37 कुल मिलाकर 101 उच्च प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा के प्रावधानों में लिए जा चुके है। इनकी युनिट कोस्ट 0.5 लाख होने से कुल लागत 32 लाख प्रस्तावित की गई है।

13.2 कक्षा कक्ष निर्माण :

- अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण इस सत्र में कुल 52 लिए गए है इसमें प्रति कक्षा कक्ष युनिट कोस्ट 1. 20 लाख से कुल लागत 62.400 लाख का अनुमानित है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्षा कक्ष के निर्माण का प्रावधान भी रखा गया है। इस सत्र में कुल : प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण का प्रावधान है जिनकी प्रति युनिट कोस्ट 0.50 एवं कुल लागत 15 लाख है।

13.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :

सर्व शिक्षा अभियान में जिले में पहली बार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने का प्रावधान है। जिसका वार्षिक बजट प्रति छात्र 100 रूपये रखा गया है। जिले में वर्तमान में कुल एस. सी. एस. टी. के छात्र 4500 है इनके अनुसार कुल लागत 4.5 लाख रखा गया है।

13.4 निर्माण कार्य :

1. विद्यालय भवन निर्माण (दो कक्षा कक्ष) इस सत्र में कुल 5 विद्यालय भवन निर्माण कराना प्रस्तावित है। जिनकी प्रति दो कक्षा कक्ष युनिट लागत 2.56 लाख का प्रावधान है जिससे कुल लागत 12.800 लाख का प्रावधान है।
2. विद्यालय भवन निर्माण (तीन कक्षा कक्ष) इस सत्र में 27 विद्यालयों में कराने जाने है जिनकी प्रति युनिट लागत 3.7 लाख है एवं कुल लागत 97.200 लाख अनुमानित है।

3. **शौचालय** : इस सत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 शौचालय निर्माण किए जाने है जिनकी प्रति शौचालय लागत 0.1 लाख है एवं कुल 10 लाख का प्रावधान इस वर्ष में रखा गया है।

4. **पानी की सुविधा (हेण्डपम्प एवं जल संग्रहण)** : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस सत्र में कुल 30 विद्यालयों का चयन किया गया है प्रति युनिट लागत 0.2 लाख है इस हिसाब से कुल बजट 6.00 लाख रखा गया है। इसी प्रकार इस सत्र में पीएचईडी द्वारा कुल 50 विद्यालयों में हेण्डपम्प सुविधा हेतु जल व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इसमें प्रति युनिट कोस्ट 0.5 लाख से 35 लाख का प्रावधान है।

5. **रैम्प निर्माण** : इस वर्ष के बजट प्रावधानों में कुल 50 विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रैम्प निर्माण किए जाने है। जिसकी प्रति युनिट लागत 0.2 लाख की दर से कुल 10 लाख रूपए रखी गई है।

6. **बी. आर. सी. निर्माण** : इस सत्र में कुल 7 विकास खण्डों में से मात्र 3 विकास खण्डों के बी. आर. सी. निर्माण का प्रावधान है जिनकी प्रति बीआरसी लागत 6 लाख के हिसाब से कुल 18 लाख का अनुमानित है।

7. **सी. आर. सी. निर्माण** : सर्व शिक्षा अभियान के तहत पुराने संकुलों में वृद्धि कर उसके दुगुने संकुल निर्माण का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में जिले में 30 संकुल है अतः इनके स्थान पर कुल 60 संकुलों के निर्माण का प्रावधन रखा गया है। इस सत्र का मात्र 30 सी आर सी का निर्माण ही निर्धारित मानदण्डानुसार तय किया गया है। जिसकी प्रति सीआरसी लागत 2 लाख होने से कुल 60 लाख रूपए है।

8. **बाउण्ड्री वाल** : जिले में विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है। कुल प्राथमिक विद्यालयों में 514 प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहां पर बाउण्ड्री वाल की आवश्यकता है इस तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 251 में बाउण्ड्री वाल नहीं है। अतः बाउण्ड्री वाल का सुनिश्चितरण नहीं होने के कारण इस सत्र में पूरे जिले हेतु कुल 50 लाख रूपए की लागत का प्रावधान है।

9. **लघु एवं वृहद कक्षा कक्ष मरम्मत** : इस वर्ष में कुल 30 कक्षा कक्ष प्राथमिक विद्यालयों में एवं 20 कक्षा कक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत हेतु रखे गए हैं । लघु मरम्मत में प्रति युनिट लागत 0.125 होने से कुल लागत 3.750 एवं वृहद मरम्मत में प्रति युनिट लागत 0.25 होने से कुल लागत 5 लाख है। अतः दोनों के लिए कुल 8.750 लाख बजट अनुमान है।

13.5 खेलकूद सामग्री : इस वर्ष कुल 50 विद्यालयों में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसमें प्रति विद्यालय 0.25 लाख के हिसाब से कुल 12.500 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

13.6 विद्यालय रखरखाव एवं मरम्मत :

1 प्राथमिक विद्यालय : सर्व अभियान के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में रखरखाव हेतु 5000 रू. प्रति विद्यालय के हिसाब से कुल 678 विद्यालय में 33.900 लाख का बजट प्रावधान है।

2 **उच्च प्राथमिक विद्यालय** : प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रखरखाव हेतु 5000 रू. कुल 306 विद्यालय के लिए कुल बजट 15.300 लाख अनुमानित है।

13.7 ई.जी.एस. से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति : इस सत्र मे ई. जी. एस. सेन्टर से कुल 70 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना है इसमें वेतन, मानदेय प्रति युनिट निर्धारित मानदण्डानुसार देय होगा।

13.8 स्कूल ग्राण्ट : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति युनिट 0.02 लाख के हिसाब से कुल 678 प्रावि एवं 306 उप्रावि में कुल बजट 19.680 लाख रखा गया है।

13.9 अध्यापकों को शैक्षिक सहयोग : सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षणिक ग्राण्ट देने हेतु प्रति टीचर ग्राण्ट देने का प्रावधान हैं इस सत्र जिले में प्रावि एवं उप्रावि के शिक्षकों में से 2042 प्राथमिक एवं 2441 उच्च प्राथमिक के शिक्षकों को प्रति अध्यापक 0.005 की लागत दर से कुल 22.415 लाख बजट है।

13.10 शिक्षक प्रशिक्षण : वर्ष भर में शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने हेतु जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 20–20 दिवसीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। नए पेरा टीचर्स के 30 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। इनके व्यय बजट का निर्धारण निश्चित मानदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

13.11 अन्य मद जैसे :– विकलांग बालकों, नवाचार, मॉनिटरिंग, प्रबन्धन, बीआरसीएफ को अ..फेस, सीआरसीएफ ऑफिस एवं ब्लॉक रिसर्च सेन्टर, क्लस्टर रिसर्च सेन्टर, कॉम्युनिटी मोबाईल सेन्टर इनके मद निश्चित प्रति युनिट के आधार पर इस सत्र के बजट प्रावधान में प्रावधान है।

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		***Additional Teacher***								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	29982	253.348		0.000	29982	253.348
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	37	0.000	64	32.000	101	32.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	37	33.300		0.000	37	33.300
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	27	32.400		0.000	27	32.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	37	23.310		0.000	37	23.310
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	54	45.360		0.000	54	45.360
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	52	62.400		0.000	52	62.400
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	4500	4.500		0.000	4500	4.500
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800		0.000	5	12.800
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	27	97.200		0.000	27	97.200
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000		0.000	100	10.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	30	6.000		0.000	30	6.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	3	18.000		0.000	3	18.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	30	60.000		0.000	30	60.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	30	3.750		0.000	30	3.750
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000		0.000	20	5.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	678	33.900		0.000	678	33.900
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	306	15.300		0.000	306	15.300
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	70	7.000		0.000	70	7.000
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	70	44.100		0.000	70	44.100
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	70	9.450	0	0.000	70	9.450
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								

				Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	10.1	Primary School	Number	0.02	678	13.560	0	0.000	678	13.560
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	306	6.120	0	0.000	306	6.120
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2042	10.210	0		2042	10.210
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2441	12.205	0	0.000	2441	12.205
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1972	0.000	0		1972	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2441	0.000	1277	17.878	3718	17.878
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	70	1.470	0	0.000	70	1.470
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2448	1.469	0	0.000	2448	1.469
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	819	0.000		0.000	819	0.000
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	678	9.492	0	0.000	678	9.492
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	306	0.000	353	4.942	659	4.942
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080		0.000	2	4.080
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320		0.000	3	4.320
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600		0.000	1	0.600
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440		0.000	3	1.440
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612		0.000	2	0.612
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	2.000		0.000	1	2.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000

			Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	7	5.950		0.000	7	5.950
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	7	0.840		0.000	7	0.840
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	7	0.700		0.000	7	0.700
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	7	5.880		0.000	7	5.880
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	7	0.875		0.000	7	0.875
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	7	0.420		0.000	7	0.420
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	7	0.350		0.000	7	0.350
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	30	3.000		0.000	30	3.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	30	0.750		0.000	30	0.750
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	30	0.720		0.000	30	0.720
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	30	0.300		0.000	30	0.300
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450		0.000	1000	8.450
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	306	3.060	0	0.000	306	3.060
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	206	4.120		0.000	206	4.120
		Grand Total				**1051.951**		**54.820**		**1106.771**
		Total of Civil work				387.650		0.000		387.650
		% of Civil works				36.85		0.00		35.03
		Total of Management				35.562		0.000		35.562
		% of Management				3.38		0.00		3.21

Status Schools & Upgradition

DISTRICT:RAJSAMAND

	Position of Schools					Upgadation		Position after upgradition				
Year	PS	UPS	RGSJP	SKS	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	Total
2002-03	705	289	701	74	1769		27	678	306	704	74	1762
2003-04	678	306	704	74	1762	70	37	711	343	634	74	1762
2004-05	711	343	634	74	1762	70	8	773	351	564	0	1688
2005-06	773	351	564	0	1688	144	23	893	375	494	0	1762
2006-07	893	375	494	0	1762	70	48	915	423	424	0	1762
2007-08	915	423	424	0	1762	70	23	962	446	354		1762
2008-09	962	446	354	0	1762	70	23	1009	469	284		1762
2009-10	1009	469	284	0	1762	70	23	1055	493	214		1762
							0	0	0			0

E.G.S.

Year	EGS	Conversion in to PS	Enrolment in EGS	Enrolment in PS
2002-03	704		33888	
2003-04	634	70	29982	5600
2004-05	564	70	25882	5600
2005-06	494	70	21576	5600
2006-07	424	70	17054	5600
2007-08	354	70	12307	5600
2008-09	284	70	7322	5600
2009-10	214	70	2089	5600